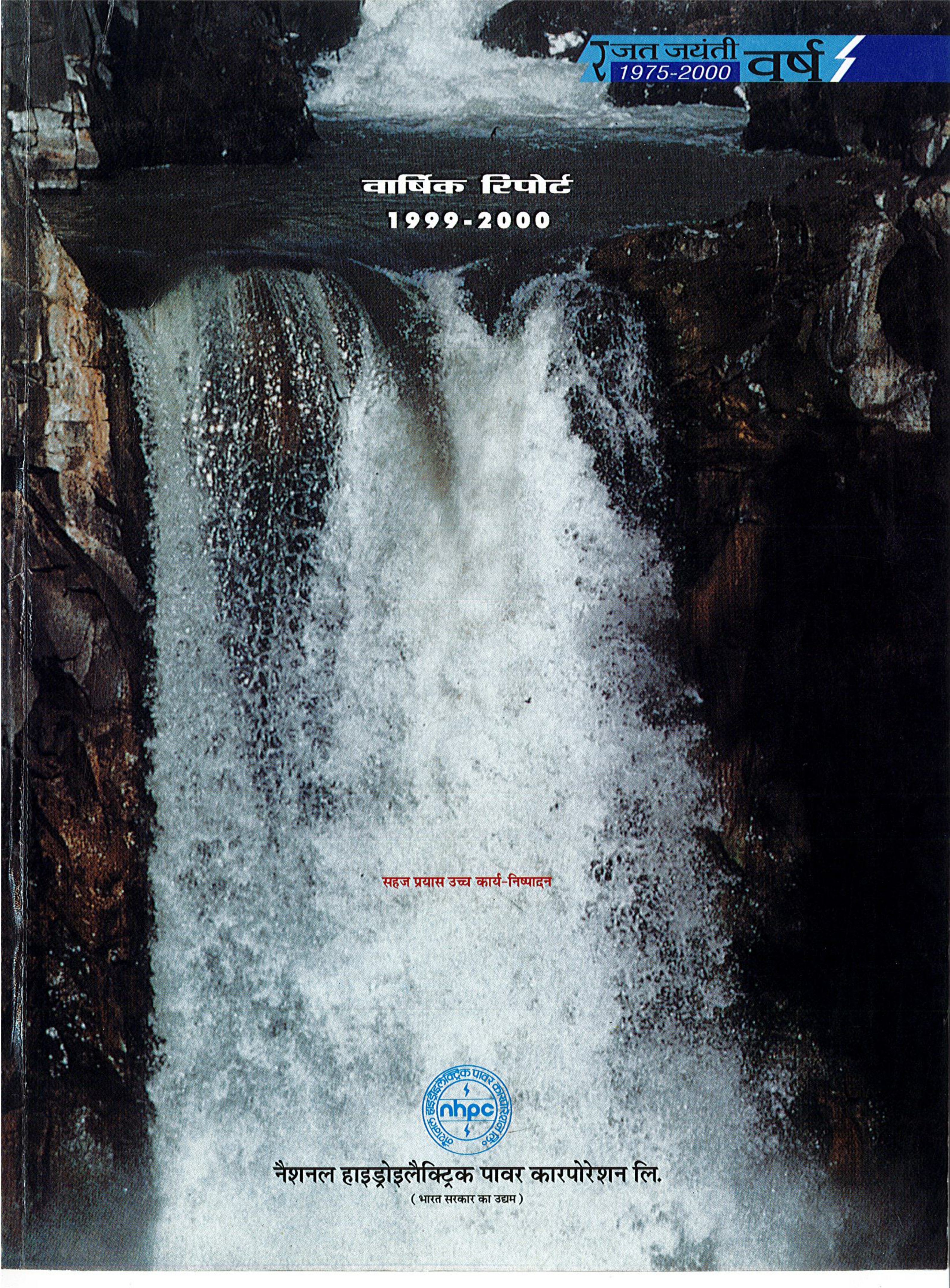

रजत जयंती 1975-2000 वर्ष

वार्षिक रिपोर्ट

1999-2000

सहज प्रयास उच्च कार्य-निष्पादन

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी दिनांक 12.12.1999 को हिमाचल प्रदेश में 2051 मेगावाट पार्बती नदी बेसिन का शिलान्यास करते हुए

390 मेगावाट दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर)-निर्माणाधीन कंक्रीट बांध

विषय-सूची

निगम का लक्ष्य तथा उद्देश्य 2

कारपोरेट रूपरेखा 4

महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष) 6

निदेशक मंडल 9

अध्यक्षीय संबोधन 11

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 20

वार्षिक लेखे 36

तुलन-पत्र उद्धरण तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा 56

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 60

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां 66

निगम का लक्ष्य

एन.एच.पी.सी. का लक्ष्य देश की विशाल जल विद्युत, ज्वारीय, पवन ऊर्जा, भू-तापीय और गैस ऊर्जा संभाव्यता का दोहन करके सस्ती, प्रदूषण-रहित और कभी न समाप्त होने वाली बिजली का उत्पादन करना है। एन.एच.पी.सी. केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत, ज्वारीय, गैस ऊर्जा, भू-तापीय और पवन ऊर्जा संभाव्यता के एकीकृत और दक्ष विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस विकास में जल विद्युत, ज्वारीय, भू-तापीय, गैस ऊर्जा और पवन बिजली परियोजनाओं का अन्वेषण, योजना, डिज़ाइन, निर्माण और संचालन व रख-रखाव करने जैसे सभी पहलू शामिल होंगे।

निगम का उद्देश्य

आधुनिक प्रणाली-विज्ञान और नवीनतम तकनीकों को अपनाकर हाइड्रो परियोजनाओं के योजनाबद्ध विकास का लक्ष्य शीघ्रता से प्राप्त करना और साथ ही साथ एकीकृत प्रबंधन पद्धति को अपनाकर न्यूनतम लागत और कम से कम समय में जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करना।

संचालन और रख-रखाव की आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर संचालित पावर स्टेशनों की संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, जिसमें पावर जनरेटिंग स्टेशनों का संवर्धन, आधुनिकीकरण और जहाँ आवश्यक हो, इनकी क्षमता में वृद्धि करना भी शामिल है।

व्यापक कारपोरेट योजना बनाना और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में योजनाओं को तैयार करना तथा देश में बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य के मद्देनजर इन योजनाओं को निरंतर नयापन देना। पावर क्षेत्र में निगम की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना और प्रतिष्ठा निर्माण के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यानपूर्वक मॉनिटर करना।

आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण आदि के माध्यम से मानव संसाधन विकास के साथ-साथ उपयुक्त संगठनात्मक विकास का लक्ष्य निर्धारित करना और इसे प्राप्त करना।

देश में मिले-जुले पावर अनुपात में जल विद्युत के हिस्से में सुधार करने की दृष्टि से नदी बेसिनों के हाइड्रो-पावर संसाधनों का अधिकतम और तेजी से विकास करना।

देश में जल विद्युत, ज्वारीय, भू-तापीय, गैस ऊर्जा और पवन बिजली परियोजनाओं का निष्पादन हाथ में लेना।

परियोजना अन्वेषण, डिजाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना कार्यान्वयन के क्षेत्र में परामर्शी कार्यों को हाथ में लेना। देश तथा विदेश में डिपॉजिट आधार पर टर्नकी निष्पादन के कार्य हाथ में लेना।

विभिन्न पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय सुरक्षात्मक उपायों को अपनाकर जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय चेतना पक्ष को अपनाना।

वित्तीय उद्देश्य

क्षमता में बढ़ोत्तरी और नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए लघुकालीन और दीर्घकालीन वित्त पोषण हेतु पर्याप्त आंतरिक संसाधन जुटाना।

राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुकूल निगम की गतिविधियों की वांछित प्रगति को प्राप्त करने के उद्देश्य से दीर्घकालीन कारपोरेट योजनाओं का अनुकूल निर्माण करना।

अत्यंत किफायती लागत पर अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए निरंतर प्रयास करना।

सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को बिना किसी वृद्धि के निर्धारित समय और लागत में पूरा करना।

60 मेगावाट रंगित परियोजना (सिक्किम)-बांध

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97
बिक्री व ढुलाई प्रभारें	*	10757	11944	9930	5344
विविध आय	@	2026	391	44	217
ब्याज तथा मूल्यह्रास-पूर्व लाभ	$	10707	9992	8491	4811
ब्याज तथा मूल्यह्रास के पश्चात् लाभ		4012	3053	2994	1067
लाभांश		150	150	150	150
आरक्षित तथा अतिरिक्त (संचयी)		16906	12721	9486	6345

निगम का स्वामित्व				
सकल स्थिर परिसम्पत्तियां	77527	70904	69036	38938
मूल्यह्रास	10290	8111	5986	6228
शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियां	**67237**	**62793**	**63050**	**32710**
चालू पूंजीगत कार्य	27686	25760	20731	48957
निर्माण स्टोर व पेशगियां	5115	3228	3320	1167
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां	21009	14718	12525	4868
विविध खर्च	19	4	17	50
	121066	106503	99643	87752

निगम की देयता				
शुद्ध मूल्य				
- हिस्सा पूंजी	44462	38250	33930	29174
- आरक्षित	16906	12721	9486	6345
- मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय	3861	2455	1305	0
उधार	55837	53077	54922	52233
	121066	106503	99643	87752

संचालित कार्य-निष्पादन	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97
उत्पादन (मिलियन यूनिट)	8691	9917	8816	5614
मशीन उपलब्धता (%)	91.05	88.39	83.00	83.25
बिक्री (करोड़ रुपए)	1076	1194	993	534
जनशक्ति (संख्या)	12150	11860	11799	12119

* टैरिफ समायोजन और मूल्यह्रास के बदले पेशगी के पश्चात् शुद्ध बिक्री

@ ठेकों के लिए प्राप्तियां शामिल हैं

$ पूर्व-अवधि समायोजन के पश्चात्

(मिलियन रुपए)

1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
5091	4805	2087	1552	2306	2093
20	16	22	53	257	236
4330	3714	1714	1244	1671	1601
774	937	705	415	493	528
150	100	50	0	0	0
5443	4819	3982	3327	2912	2419
37275	35978	16040	12293	14832	14423
4901	3698	2912	2662	2517	2079
32374	**32280**	**13128**	**9631**	**12315**	**12344**
44447	33801	31487	29941	26993	18483
1690	2265	13682	10246	9270	7310
3954	5243	8351	6390	1537	3148
86	106	45	31	0	1
82551	73695	66693	56239	50115	41286
28903	28327	28325	26325	23225	20453
5443	4819	3982	3327	2912	2419
0	0	0	0	0	0
48205	40549	34386	26587	23978	18414
82551	73695	66693	56239	50115	41286

1995-96	1994-95	1993-94	1992-93	1991-92	1990-91
6141	6058	3587	3474	3567	3617
85.30	83.99	84.66	87.43	90.18	83.22
509	478	206	152	228	206
11984	12145	12449	12952	13015	14944

महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष)

			1999-2000	1998-1999	1997-1998
क	ऊर्जा की बिक्री	$	12163	13094	11235
ख	मूल्यह्रास के बदले पेशगी		1406	1150	1305
ग	विविध आय	#	2026	391	44
घ	**कुल आय (क)-(ख)+(ग)**		**12783**	**12335**	**9974**
च	उत्पादन व अन्य खर्च		2076	2343	1483
छ	**सकल मार्जिन (घ)-(च)**		**10707**	**9992**	**8491**
ज	मूल्यह्रास		2198	2152	1140
झ	**सकल लाभ (छ)-(ज)**		**8509**	**7840**	**7351**
ट	ब्याज व वित्तीय प्रभार		4497	4787	4357
ठ	**शुद्ध लाभ (झ)-(ट)**		**4012**	**3053**	**2994**
ड	**जुटाए गए आंतरिक संसाधन (ज)+(ठ)+(ख)**		**7616**	**6355**	**5439**
ढ	प्राधिकृत पूंजी		50000	50000	35000
त	इक्विटी प्रदत्त पूंजी	*	44462	38250	33930
थ	आरक्षित व अतिरिक्त		16906	12721	9486
द	ऋण निधि		55837	53077	54922
ध	मूल्यह्रास के बदले अग्रिम तौर पर पेशगी के रूप में प्राप्त आय (**ककघ**)		3861	2455	1305
न	सकल स्थिर परिसम्पत्तियां		77527	70904	69036
प	मूल्यह्रास		10290	8111	5986
फ	**शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियां (न)-(प)**		**67237**	**62793**	**63050**
ब	चालू पूंजीगत कार्य		27686	25760	20731
भ	निर्माण स्टोर व पेशगियां		5115	3228	3320
म	कार्यकारी पूंजी		21009	14718	12525
य	बट्टेखाते न डाले गए की सीमा तक विविध खर्च		19	4	17
र	**सकल नियोजित पूंजी (फ)+(ब)+(भ)+(म)**		**121047**	**106499**	**99626**
ल	**शुद्ध मूल्य (त)+(थ)+(ध)-(य)**		**65210**	**53422**	**44704**
व	विद्युत उत्पादन, प्रशासन व क्रय अनुसार उपयोग की गई इन्वेंटरी		60	133	60
कक	**मूल्य संवर्धन**		**10697**	**11811**	**9870**

$ टैरिफ समायोजन, व्हीलिंग प्रभार तथा संदेहास्पद देनदारियों के लिए प्रावधान सहित

ठेकों के लिए प्राप्तियां शामिल हैं।

* शेयर डिपॉजिट और इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि सहित

अनुपात

1. सकल नियोजित पूंजी पर आय (झ)/(र)	7.03%	7.36%	7.38%
2. शुद्ध मूल्य पर आय (ठ)/(ल)	6.15%	5.71%	6.70%
3. सकल नियोजित पूंजी के लिए शुद्ध बिक्री [(क)-(ख)]	8.89%	11.22%	9.97%
4. शुद्ध बिक्री के लिए संवर्धित आय (कक)/[(क)-(ख)]	99.44%	98.89%	99.40%
5. इक्विटी अनुपात के लिए देनदारी (द)/(त)+[(थ)+(ध)]	0.86	0.99	1.23
6. शुद्ध बिक्री की तुलना में शुद्ध लाभ (ठ)/ [(क)-(ख)]	37.30%	25.56%	30.15%

(मिलियन रुपए)

1996-1997	1995-1996	1994-1995	1993-1994	1992-1993	1991-1992	1990-1991
5344	5091	4805	2087	1552	2306	2093
0	0	0	0	0	0	0
217	20	16	22	53	257	235
5561	**5111**	**4821**	**2109**	**1605**	**2563**	**2328**
750	781	1107	395	361	892	727
4811	**4330**	**3714**	**1714**	**1244**	**1671**	**1601**
1111	1029	365	230	226	214	184
3700	**3301**	**3349**	**1484**	**1018**	**1457**	**1417**
2633	2527	2412	779	603	964	889
1067	**774**	**937**	**705**	**415**	**493**	**528**
2178	**1803**	**1302**	**935**	**641**	**707**	**712**
35000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
29174	28903	28327	28325	26325	23225	20453
6345	5443	4819	3982	3327	2912	2419
52233	48205	40549	34386	26587	23978	18414
0	0	0	0	0	0	0
38938	37275	35978	16040	12293	14832	14423
6228	4901	3698	2912	2662	2517	2079
32710	**32374**	**32280**	**13128**	**9631**	**12315**	**12344**
48957	44447	33801	31487	29941	26993	18483
1167	1690	2265	13682	10246	9270	7310
4868	3954	5243	8351	6390	1537	3148
50	86	106	45	31	0	1
87702	**82465**	**73589**	**66648**	**56208**	**50115**	**41285**
35469	**34260**	**33040**	**32262**	**29621**	**26137**	**22871**
48	13	37	18	18	412	389
5296	**5078**	**4744**	**2044**	**1506**	**1865**	**1676**
4.22%	4.00%	4.55%	2.23%	1.18%	2.19%	3.43%
3.01%	2.26%	2.84%	2.19%	1.40%	1.89%	2.31%
6.09%	6.17%	6.53%	3.13%	2.76%	4.60%	5.07%
99.10%	99.74%	98.73%	97.94%	97.04%	80.88%	80.08%
1.47	1.40	1.22	1.06	0.90	0.92	0.81
19.97%	15.20%	19.50%	33.78%	26.74%	21.38%	25.23%

60 मेगावाट रंगित परियोजना (सिक्किम)–पावर हाऊस

निदेशक मंडल

(1.10.2000 को)

श्री योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

श्री ए.आई. बुनेट
निदेशक (कार्मिक)

श्री आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

श्री ए.के. गंगोपाध्याय
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आर. के शर्मा
निदेशक (तकनीकी)

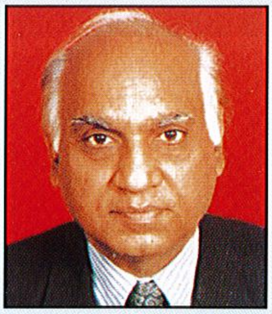

श्री डी.वी. खेरा
सदस्य (हाइड्रो)
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

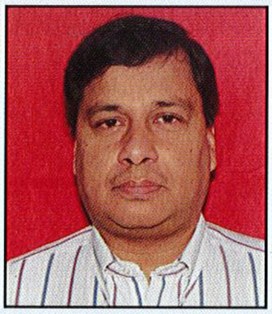

श्री अजय शंकर
संयुक्त सचिव (हाइड्रो)
विद्युत मंत्रालय

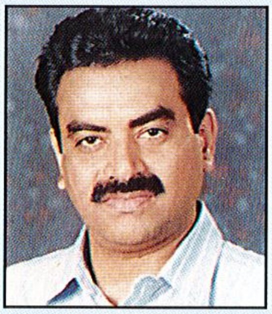

श्री संजय टंडन

कंपनी सचिव
श्री विजय गुप्ता

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
105, ज्योति भवन,
डा. मुखर्जी नगर,
कामर्शियल काम्प्लेक्स,
नई दिल्ली-110009

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स के.बी. शर्मा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
विद्या भवन
परेड रोड
जम्मू-180001

मैसर्स साहा गांगुली एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
शांति निकेतन
8, कामेक स्ट्रीट (छठी मंजिल)
कलकत्ता-700017

मैसर्स के.के. घई एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
806, हेमकुंट हाऊस
6, राजेन्द्र प्लेस,
नई दिल्ली-110008

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
देना बैंक
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया
कारपोरेशन बैंक
बैंक ऑफ भूटान
स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
जे. एण्ड के. बैंक लि.
आईसीआईसीआई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121 003 (हरियाणा)

300 मेगावाट चमेरा चरण- II परियोजना (हिमाचल प्रदेश)-निर्माणाधीन पावर टनल

अध्यक्षीय संबोधन

प्रिय शेयर-धारकों और बोर्ड के मेरे साथियों,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की 24-वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1999-2000 के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय लेखों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट व भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है और आपकी अनुमति से मैं इन्हें पढ़ा गया समझूंगा।

वर्ष की शुरुआत हमने काफी स्फूर्ति के साथ की और सभी क्षेत्रों की गतिविधियों में अभूतपूर्व विस्तार में हुई हलचल इसका प्रमाण है। वर्ष का समापन उपलब्धियों से परिपूर्ण अनुभव के साथ खुशीभरे माहौल में हुआ । वर्ष 1999-2000 में निगम का बिक्री कारोबार, वर्ष 1998-99 के 13,094 मिलियन रुपए की तुलना में 12,163 मिलियन रुपए रहा। कमी का कारण नदियों में पानी का अपर्याप्त बहाव, विशेषत: इसका कारण झेलम नदी है, जो कश्मीर घाटी में 480 मेगावाट की हमारी उड़ी जल विद्युत परियोजना को पानी उपलब्ध कराती है। तथापि, विवेकपूर्ण आर्थिक उपायों और नई परियोजनाओं के निर्माण-पूर्व कार्यों तथा कार्य-निष्पादन के लिए सरप्लस स्टाफ को अन्य स्थानों पर पुनर्नियोजन करने से, निगम गत वर्ष के 3,053 मिलियन रुपए की तुलना में 4,012 मिलियन रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करने में सफल रहा। यह बढ़ोत्तरी लगभग 31% की रही ।

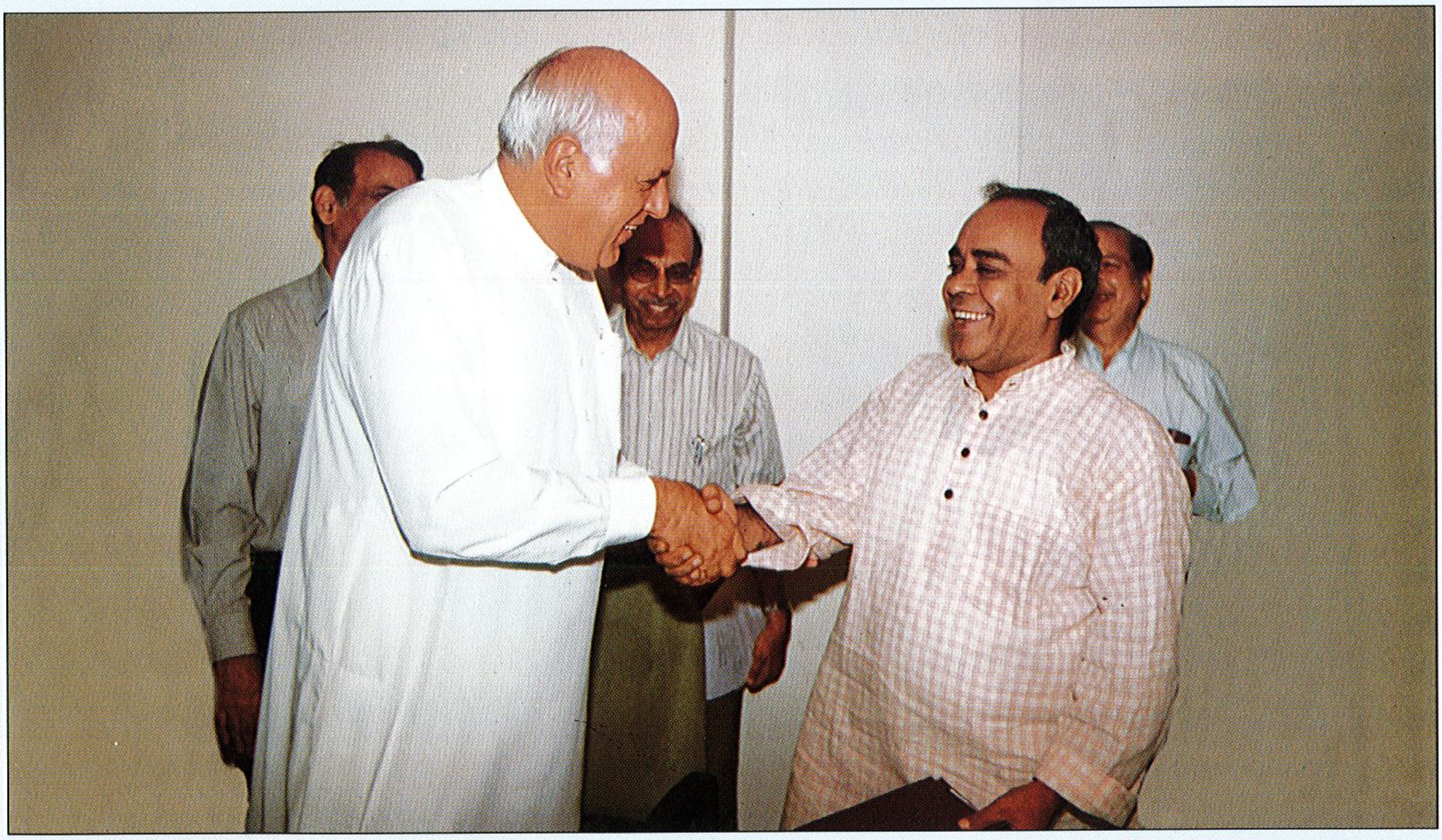

तत्कालीन विद्युत मंत्री श्री पी.आर. कुमारमंगलम और जम्मू व कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, एन.एच.पी.सी. को जम्मू व कश्मीर राज्य में सात परियोजनाओं के हस्तांतरण के लिए समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह में।

श्रीमती जयवंती महेता, माननीय केंद्रीय विद्युत राज्यमंत्री निगम मुख्यालय में एनएचपीसी अधिकारियों को संबोधित करते हुए

पिछले वर्ष की तरह, वर्ष 1999-2000 के लिए निगम ने 150 मिलियन रुपए का लाभांश देने की सिफारिश की है ।

आपको याद होगा कि जुलाई,1999 में निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 50,000 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 100,000 मिलियन रुपए करने का प्रस्ताव भेजा गया था ताकि नई परियोजनाओं की पूंजी-मांग को पूरा किया जा सके । मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने अगस्त,2000 में प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को प्रथमत: बढ़ाकर 70,000 मिलियन रुपए करने की स्वीकृति दे दी है ।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि निगम ने बॉण्ड-धारकों और ऋणदाता संस्थानों के प्रति समय पर प्रतिबद्धताओं के निर्वहन का लगातार अच्छा रिकॉर्ड कायम रखा है तथा 1,638.5 मिलियन रुपए के पूर्व-भुगतान सहित, 5,961.8 मिलियन रुपए की कुल राशि के बॉण्ड्स की अदायगी करके इस प्रकार ब्याज के रूप में 155 मिलियन रुपए की बचत की । इसके अतिरिक्त, आपके निगम ने यू.टी.आई., एच.डी.एफ.सी. और केनरा बैंक के सावधिक ऋणों की कुल मिलाकर 1227.2 मिलियन रुपए की राशि का भी पुनर्भुगतान कर दिया है ।

निगम ने लाभभोगी राज्यों से की गई बिजली आपूर्ति के लिए 7,996.75 मिलियन रुपए की वसूली की। इसमें 672 मिलियन रुपए की वह राशि भी शामिल है, जिसकी प्राप्ति केंद्रीय योजना सहायता के रूप में हुई है। इस वर्ष के अंत तक कुल बकाया राशि 22,809 मिलियन रुपए (15248 मिलियन रुपए के सरचार्ज सहित) हो गई है। कुछ राज्यों की वित्तीय हालत और चुकाने की उनकी असमर्थता आपके निगम के लिए पर्याप्त चिंता का कारण बन रही है तथा यह सब निगम के लिए अत्यंत चिंता का कारण है। विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया की वसूली करने के लिए सभी स्तरों पर हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु उनकी शोचनीय वित्तीय हालत निगम के लिए अति चिंता का कारण बन रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून, 2000 में 3,000 मिलियन रुपए के बॉण्ड्स जारी करना अच्छी बात रही है।

संचालित पावर स्टेशनों का निष्पादन 91.05% के उच्च औसत उपलब्धता घटक के साथ उत्कृष्ट रहा है। तथापि, लक्ष्य की तुलना

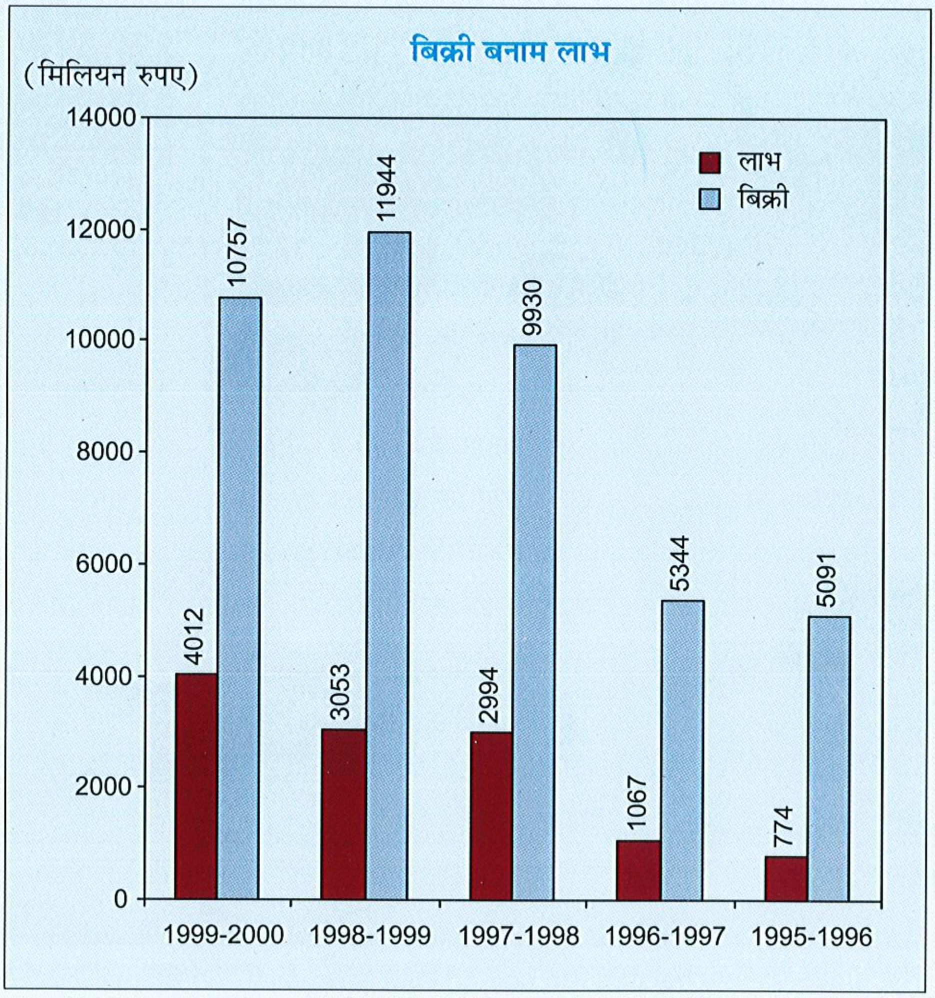

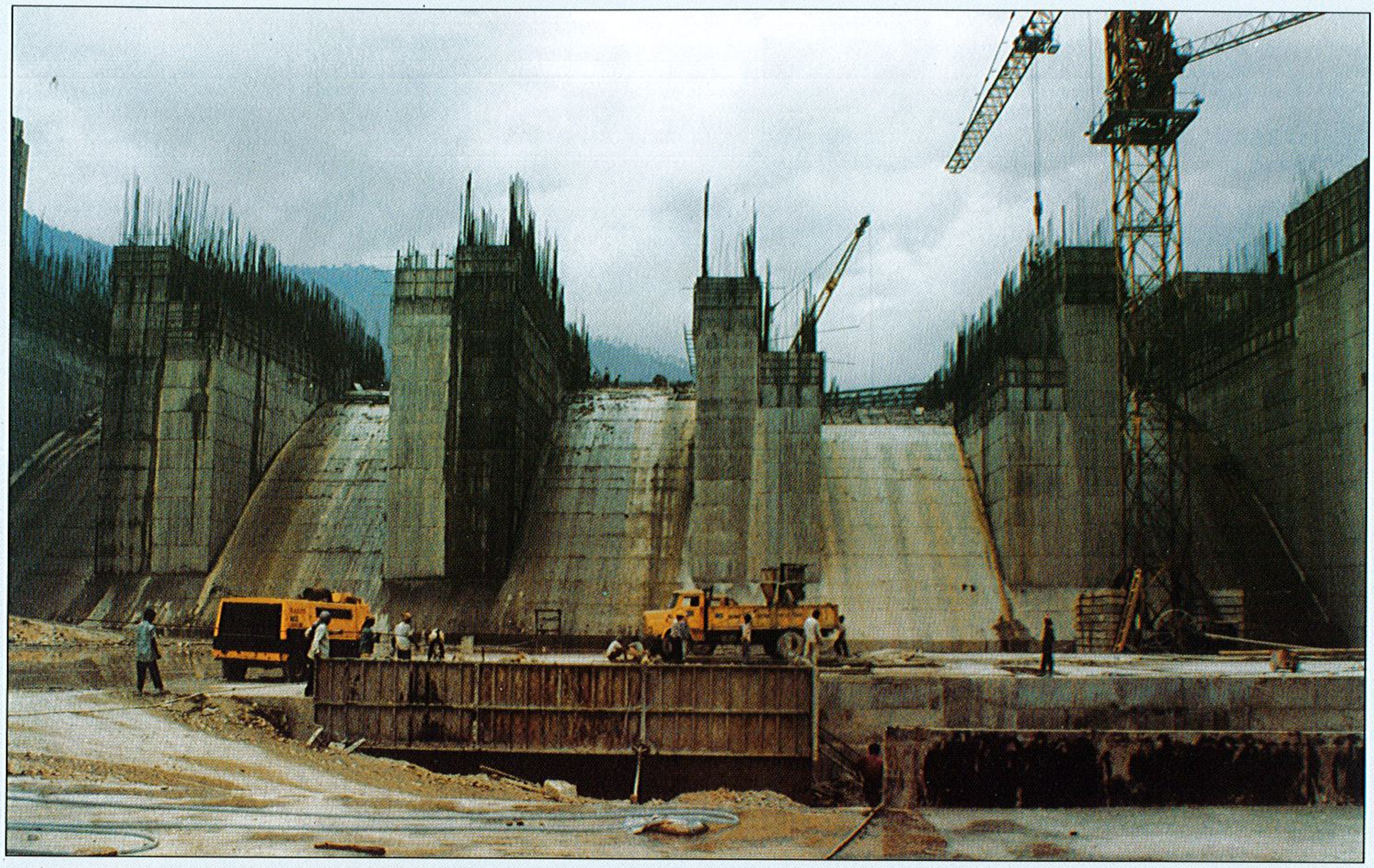

60 मेगावाट कुरिचु परियोजना (भूटान)-निर्माणाधीन बाँध

में वास्तविक बिजली उत्पादन में मामूली कमी नदियों में पानी के कम बहाव से रही है। अब तक के कार्य-निष्पादन को देखते हुए वर्तमान वर्ष 2000-01 में बिजली उत्पादन का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। पावर स्टेशन कार्मिक और निगम का ओ. एंड एम. विभाग अब काफी परिपक्व हो गया है और इसने गतिशील व प्रभावशाली समूह का आकार ले लिया है, जो साहसिक व नवीनता भरे उपायों को लागू करने के लिए सदा उत्सुक रहता है। ऐसा करने से खराबियों और पुर्जों के घिसाव को रोका जा सकेगा और वार्षिक मरम्मत तथा पुनः चालू करने के कार्य में तेजी लाई जा सकेगी। चमेरा-। परियोजना के 400 के.वी. के एक पावर ट्रांसफार्मर की स्वस्थाने मरम्मत और फैक्टरी सुविधाओं के बिना उसे नवीन उपायों की बदौलत पुनः चालू करना, उनके कौशल, विश्वास और जोश का एक ऐसा प्रमाण है, जो उन्हें साहसिक प्रयोग करने के लिए जोखिम उठाने को प्रेरित करता है। 400 के.वी. स्तर के ट्रांसफार्मरों की स्वस्थाने मरम्मत करना अपने आप में अनूठा है। शायद यह भारत में पहली बार किया गया है। मैं आपकी तथा अपनी ओर से इस अनूठी उपलब्धता के लिए उन्हें बधाई देता हूं तथा आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आपके पावर स्टेशन कुशल हाथों में सुरक्षित हैं।

दुलहस्ती परियोजना को छोड़कर, निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति काफी संतोषजनक रही है। दुलहस्ती परियोजना में पहले से निर्मित कैविटी से चट्टान गिरने के कारण हुए हिमस्खलन के नीचे टी.बी.एम. के दबने के कारण प्रगति प्रभावित हुई। इसके कारण और सीमा-पार से आतंकवादियों की गतिविधियों में हुई बढ़ोत्तरी के कारण आतंक, डर और असुरक्षा के समग्र माहौल की प्रतिकूलता ने दुलहस्ती परियोजना की प्रगति में कमी की। इसे छोड़कर, चमेरा-॥, कुरिचू और कालपोंग परियोजनाओं की प्रगति अनुकरणीय रही है और ये परियोजनाएं क्रमशः मई, 2004, सितंबर, 2001 और जून, 2001 के निर्धारित समय से पहले पूरा करने के लिए संतुलित रूप से आगे बढ़ रही हैं। सभी मुख्य कांट्रेक्ट्स अवार्ड किए जा चुके हैं और धौलीगंगा परियोजना के संबंध में परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास का काम काफी हद तक पूरा हो गया है। इस परियोजना को मार्च, 2005 में पूरा करने की संकल्पना की गई है।

कोयल कारो परियोजना के संबंध में निर्माण-पूर्व कार्यों के लिए जनवरी, 2000 में आर्थिक-मामलों की मंत्री-मंडलीय समिति के

माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल प्रदेश में 2051 मेगावाट की पार्बती नदी बेसिन की आधारशिला रखने के पश्चात् सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए

अनुमोदन के लिए एक ताजा प्रस्ताव भेजा गया है ताकि पर्यावरण व वन मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही मुख्य गतिविधियों को शीघ्र शुरू किया जा सके। इस परियोजना की पूरी बिजली दामोदर वैली कारपोरेशन और बिहार राज्य द्वारा उपभोग की जाएगी। इसके लिए बिजली खरीद करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

वर्ष 1999-2000 में निगम ने नई परियोजनाओं यानी सिक्किम में 510 मेगावाट की तीस्ता चरण-V परियोजना और मणिपुर में 90 मेगावाट की लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना की सक्रिय शुरुआत कर दी है। तीस्ता चरण-V के लिए सरकार से जनवरी, 2000 में 21,980 मिलियन रुपए के लिए मंजूरी प्राप्त हुई थी। बुनियादी ढांचागत कार्य और सहायक कार्यों के निर्माण को हाथ में लिया गया और अंशत: पूरा कर लिया गया है। पुष्टिकारक सर्वेक्षण कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। डाइवर्शन टनल के लिए कांट्रेक्ट अवार्ड किया जा चुका है और बोली दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं। लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना के संबंध में निर्माण-पूर्व और सहायक कार्यों को शुरू कर दिया गया है। पुष्टिकारक और अर्हता-पूर्व सर्वेक्षण कार्य आरंभ कर दिए गए हैं। कांट्रेक्ट्स के लिए अर्हता-पूर्व कार्य पूरे हो गए हैं और शीघ्र ही बोली दस्तावेज जारी कर दिए जाएंगे। कानून और व्यवस्था की स्थिति ने परियोजना के कार्यों की प्रगति पर विलंबकारी प्रभाव डाला है।

हिमाचल प्रदेश में 800 मेगावाट की पार्बती- II और अरुणाचल प्रदेश में 7300 मेगावाट की सुबानसिरी व 13400 मेगावाट की दिहांग परियोजनाओं के सर्वेक्षण व अन्वेषण कार्य गंभीरतापूर्वक हाथ में लिए गए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 12.12.1999 को पार्बती नदी घाटी विकास की आधारशिला रखने के साथ ही परियोजना की गतिविधियों की जोशभरी शुरुआत को हरी झंडी मिल गई है। दूसरी मुख्य बात के बारे में मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश में निगम के साथ 51% हिस्सेदारी के साथ 1000 मेगावाट की इंदिरा सागर और 520 मेगावाट की ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के लिए एक अलग कंपनी "नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड" की स्थापना होना है। एन.एच.पी.सी. की ऐसी ही एक दूसरी अनुषंगी कंपनी उत्तर प्रदेश में 400 मेगावाट की लखवार व्यासी जल

विद्युत परियोजना का विकास करने के लिए गठित किए जाने की संभावना है। दूसरी बड़ी एक अन्य घटना आपके निगम द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य में सात नई जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए हस्तांतरण होना है। हम परियोजना विस्तृत रिपोर्टों को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं और वैधानिक मंजूरियां प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।

बिहार और अरुणाचल प्रदेश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण तथा कावेरी नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के बंद पड़े ताले को खोलकर सफलता के चरण तक पहुंचाने के लिए आपकी कंपनी की गतिविधियां जारी हैं।

मुझे यह सूचित करते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि आपका निगम सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटरीकरण और संचार के क्षेत्र में हो रहे विश्वव्यापी विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है। आपकी कंपनी पावर सेक्टर क्षेत्र में वाई-2के की अनुपालना में उपलब्धि हासिल करने वालों में प्रथम है। निगम मुख्यालय और लोड डिस्पैच सेंटरों को वी-सैट आधारित वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से शीघ्र ही जोड़ दिया जाएगा। यह सुविधा सैटेलाइट टेलीफोन आधारित **इनमारसैट** और **एल.डी.एस.टी.** सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।

निगम ने इस वर्ष आई.एस.ओ.-9001 प्रमाणीकरण प्राप्त कर एक दूसरी बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

निगम ने परामर्श कार्यों, मानव संसाधन विकास, ऊर्जा संरक्षण, राजभाषा-नीति के कार्यान्वयन, सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद की गतिविधियों और कर्मचारी कल्याणकारी उपायों आदि विषयों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

मुझे खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है कि गत सहस्राब्दि के अंतिम वर्ष 1999-2000 में समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के मापदंडों के अनुसार निगम को कार्य-निष्पादन के लिए अस्थायी आधार पर "उत्कृष्ट" श्रेणी प्रदान की गई है।

690 मेगावाट सलाल कॉम्पलेक्स (जम्मू व कश्मीर)-कंक्रीट बाँध

धौलीगंगा परियोजना (उत्तर प्रदेश) के इलैक्ट्रिकल-मैकेनिकल पैकेज के अनुबंध करार पर हस्ताक्षर किए गए

देश भर में, उत्तर-पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण-पूर्व में अंडमान व निकोबार तक, पश्चिम में मध्य प्रदेश से लेकर सिक्किम तक और पूर्व में बिहार तथा उत्तर में जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली एन.एच.पी.सी. की मौजूदगी के गौरव को आप मेरे साथ बांटना चाहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं, निदेशक मंडल की ओर से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, राज्य और क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग के साथ-साथ अन्य उन सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं, जिनका यहां विशेष रूप से उल्लेख नहीं हुआ है।

मैं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों तथा निवेशकों का एन.एच.पी.सी. के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। हमारे पावर स्टेशनों से बिजली लेने वाले लाभभोगी राज्यों द्वारा उपभोग की गई बिजली के लिए उनकी कठिन वित्तीय समस्याओं के बावजूद उनके द्वारा किए गए भुगतान के प्रयासों की भी मैं प्रशंसा करता हूं ।

इस अवसर पर मैं, एन.एच.पी.सी. के सभी स्तर के कर्मचारियों की लगन व समर्पण की भावना तथा कठिन, खतरनाक और भयभीत कर देने वाली परिस्थितियों, कड़ाके की ठंड वाले मौसम तथा भीषणतम गोलाबारी के बीच अपने बीवी-बच्चों, माता-पिता और अन्य संबंधियों से मीलों दूर रहकर किए गए उनके उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। इस संदर्भ में लोकतक जल विद्युत परियोजना के मुख्य इंजीनियर श्री एस.सी. शेर के विशिष्ट बलिदान को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनकी मणिपुर के हथियारबंद उग्रवादियों के एक गुट ने वीभत्स तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी थी। खून में कंपकंपी भर देने वाले ऐसे अनुभवों को अनदेखा करते हुए, एन.एच.पी.सी. के कर्मचारी अपने देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रकृति के उदारमन खजाने का दोहन कर स्वच्छ बिजली का उत्पादन करने के लिए सर्वोत्तम बलिदान, कठिन

परिस्थितियों का सामना करने और आंसू पोंछ कर अपना पसीना बहाने और परिश्रम करने के लिए तत्पर हैं। इस संबंध में मैं क्रोध करने के स्थान पर मनोव्यथा व्यक्त करने और उग्रता के स्थान पर प्राणपीड़ा व्यक्त करने से अधिक कुछ और भी कहने के लिए बाध्य हूं । वह यह कि जल विद्युत विकास का मार्ग फूलों भरी सेज की ओर जाने वाला मार्ग नहीं है। संवैधानिक स्वीकृतियों और भू-कानून के अंतर्गत भू-अधिग्रहण में होने वाली देरी हमारे बढ़ते हुए कदमों को रोककर हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। मैं संबंधित संगठनों को याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी भी ऊर्जा के विकास और राष्ट्र-निर्माण के प्रति जिम्मेदारी है तथा कार्य-निष्पादन हमारा विशेषाधिकार तथा कार्यान्वयन हमारा अधिकार है। मैं अपनी चिंता प्रकट करने को बाध्य हूं कि कुछ लोग बाधा पैदा करने को अपना परमाधिकार समझते हैं और हम इन बाधाओं पर विजय पाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे पुराने विचारों को छोड़ दें। वे विवादास्पद विचारों, पुरानी सोच और विवादास्पद दृष्टिकोण को छोड़कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जल विद्युत परियोजनाओं के तीव्रतर विकास को प्रोत्साहन देने में आगे आएं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे, तो जल विद्युत और ताप विद्युत का मिलाजुला अनुपात, जो पहले ही काफी असंतुलित हो गया है, में और अधिक बिगाड़ लाएगा और हमारे सिस्टम में बहुत अधिक उलझनें पैदा कर देगा।

मैं अपने संबोधन की समाप्ति स्वर्गीय श्री पी.आर. कुमारमंगलम, विद्युत मंत्री जी से एन.एच.पी.सी. को प्राप्त संरक्षण को स्मरणकर उन्हें श्रद्धांजली देना चाहूंगा। उन पर जल विद्युत का विकास करने की धुन सवार थी और उनका एन.एच.पी.सी. के लिए विशेष लगाव था। वे अपने ध्येय और लगन के पक्के इंसान थे। उन्होंने एन.एच.पी.सी. को बेमिसाल प्यार और न भूलने वाली नज़ाकत से पाला-पोसा। हम सब एन.एच.पी.सी. के कर्मचारी तीव्र गति से जल विद्युत विकास के उनके सपनों को वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए कृत संकल्प हैं।

मैं, निदेशक मंडल के सभी निदेशकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, दिशा-निर्देश और अद्वितीय सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण निगम नई-नई ऊंचाइयों और कार्य-निष्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने में समर्थ रहा।

दिनांक : 27.9.2000

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

540 मेगावाट चमेरा चरण- I परियोजना (हिमाचल प्रदेश)-बाँध

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल को आपके समक्ष कंपनी की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस रिपोर्ट में लेखापरीक्षित लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखों की समीक्षा शामिल है।

1. वित्तीय कार्य-निष्पादन

31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश तालिका-1 में नीचे दिया गया है :

2. टर्नओवर व लाभ

जैसा कि परिणामों से स्पष्ट होता है, वर्ष 1999-2000 के दौरान कंपनी का टर्नओवर 12163 मिलियन रुपए था और मूल्यह्रास, ऋणों पर ब्याज, वित्तीय प्रभार व पूर्व अवधि समंजन के लिए व्यवस्था करने के बाद निगम को 4012 मिलियन रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पिछले

300 मेगावाट चमेरा चरण- II परियोजना (हिमाचल प्रदेश)-पावर टनल के लिए एडिट

वर्ष की अपेक्षा लगभग 100 मिलियन रुपए या लगभग 33% अधिक रहा।

3. प्रस्तावित लाभांश

निदेशकों ने पिछले वर्ष की तरह ही 150 मिलियन रुपए के एकमुश्त लाभांश की सिफारिश की है, बशर्ते कि शेयर-धारकों की आने आगामी बैठक में इसे अनुमोदन प्राप्त हो जाए।

4. राजस्व वसूली

वर्ष के दौरान निगम ने लाभभोक्ताओं को बेची गई बिजली के लिए 7996.75 मिलियन रुपए की राशि प्राप्त की, जिसमें सीपीए

तालिका-1 वित्तीय परिणाम

(मिलियन रुपए)

	1999-2000	1998-1999
बिक्री	12163	13094
मूल्यह्रास, ब्याज और वित्तीय प्रभारों से पूर्व लाभ	10675	9545
ब्याज और वित्तीय प्रभार	4497	4787
मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	6178	4758
मूल्यह्रास	2198	2152
ब्याज, वित्तीय प्रभार तथा मूल्यह्रास के बाद वर्ष के लिए लाभ	3980	2606
पूर्व अवधि समायोजन	32	447
पूर्व अवधि समायोजन के बाद वर्ष के लिए लाभ	4012	3053
जोड़ें :		
पिछले वर्ष के लाभ व हानि लेखे का अधिशेष	4885	1997
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	8897	5050
विनियोजन		
1. पूंजी रिज़र्व में स्थानांतरित	-	-
2. बॉण्ड्स रिडम्पशन रिज़र्व	-	-
3. प्रस्तावित लाभांश	150	150
4. लाभांश पर आयकर के लिए प्रावधान	33	15
5. लाभांश पर आयकर (1998-99)	2	-
6. कुल	185	165
7. तुलनपत्र में ले जाया गया शेष	8712	4885

द्वारा प्राप्त धनराशि व अधिभार शामिल है। यह बात उत्साहवर्धक हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी देयताओं के लिए जून, 2000 में एन.एच.पी.सी. के पक्ष में 3000 मिलियन रुपए के बॉण्ड जारी किए हैं।

5. कार्य निष्पादन की मुख्य-मुख्य बातें

क. उत्पादन

वर्ष के दौरान निगम की संचालित परियोजनाओं में 9250 मिलियन यूनिट लक्ष्य की तुलना में 8690.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ, उत्पादन में लगभग 6% की कमी मुख्यत: पावर स्टेशनों को पानी देने वाली नदियों विशेषकर झेलम नदी, जो कश्मीर घाटी में 480 मेगावाट की उड़ी परियोजना को पानी उपलब्ध कराती है, में पानी के कम बहाव के कारण हुई है। उड़ी परियोजना में उत्पादन में कमी का वित्तीय प्रभाव शून्य होने की संभावना है, क्योंकि टैरिफ के अंतर्गत अपरिहार्य कारणों से विद्युत उत्पादन में हुई कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया था और इसके लिए 630 मिलियन यूनिट ऊर्जा की कल्पना की गई थी। विभिन्न पावर स्टेशनों द्वारा किया गया विद्युत उत्पादन नीचे तालिका-2 में दिया गया है :

जुलाई,2000 तक उत्पादन लक्ष्य से काफी अधिक था और निगम को विश्वास है कि वर्ष 2000-01 में उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी।

ख. क्षमता अभिवृद्धि

यह हर्ष का विषय है कि रंगित जल विद्युत परियोजना (3×20 मेगावाट), सिक्किम से दिनांक 15.2.2000 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। इसका कार्य निष्पादन अच्छा है और वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से अधिक है ।

ग. नेपाल को विद्युत आपूर्ति

टनकपुर परियोजना में 220/132 के.वी. स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर सहित 132 के.वी. की अतिरिक्त बे के पूरा और संचालित होने के साथ ही निगम ने भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार को किए गए वायदे को पूरा करने के लिए दिनांक 1.1.2000 से नेपाल (महेन्द्र नगर) को विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी है।

घ. नवीनीकरण व आधुनिकीकरण

यह हर्ष का विषय है कि वर्ष के दौरान सलाल तथा बैरास्यूल परियोजनाओं के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण के लिए

तालिका-2 पावर स्टेशनों का कार्य-निष्पादन

क्रम सं.	पावर स्टेशन	31.3.2000 के अनुसार प्रभावी क्षमता (मेगावाट में)	उत्पादन मिलियन यूनिट में 1999-2000			1998-99	2000-2001 जुलाई, 2000 तक	
			लक्ष्य (मि. यू.)	वास्तविक (मि. यू.)	लक्ष्य की प्राप्ति (प्रतिशत में)	वास्तविक (मि. यू.)	लक्ष्य (मि. यू.)	वास्तविक (मि. यू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बैरास्यूल	180	750	425.57	56.74	750.26	408	389.86
2.	लोकतक	105	450	506.75	112.61	532.42	144	165.21
3.	सलाल चरण-। व ॥	690	3000	3249.14	108.30	3222.96	1485	1546.72
4.	टनकपुर	94.20#	440	408.88	92.93	469.33	163	182.89
5.	चमेरा चरण-।	540	1860	2125.73	114.29	2367.27	855	1235.69
6.	उड़ी	480	2600	1948.92	74.96	2575.02	1332	918.12
7.	रंगित	60	**150 *24	*25.74	107.25	-	88	100.18
	कुल	2149.20	9250	8690.73	-	9917.26	4475	4538.67

संस्थापित क्षमता - 120 मेगावाट
* संचालित होने की तारीख के संदर्भ में
** एम.ओ.यू. के अनुसार लक्ष्य

योजनाएं कार्यान्वित की गईं और इनसे जबरन विद्युत आपूर्ति बंद रखने तथा वार्षिक रख-रखाव के लिए विद्युत आपूर्ति बंद रखने की अवधि में कमी होने, मशीन उपलब्धता और कार्यक्षमता में सुधार होने तथा मशीन की समग्र जीवन अवधि में वृद्धि होने की संभावना है।

च. अद्वितीय उपलब्धि

हिमाचल प्रदेश में चमेरा-। परियोजना के 400 के.वी. विद्युत ट्रांसफार्मरों में से एक को जून,1999 में स्वस्थाने सफलतापूर्वक ठीक किया गया तथा इसे नए तरीकों से ऊर्जित किया गया। स्वस्थाने 400 के.वी. ट्रांसफार्मर को ठीक करना अद्वितीय और संभवत: अपने ढंग की पहली घटना है। इसके ठीक होने से उत्पादन इकाइयों का पुन: संचालन कम से कम 3 महीने पूर्व शुरू हो सका।

6. चालू/स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति

यह हर्ष का विषय है कि चालू परियोजनाओं की प्रगति सामान्यत: संतोषजनक है और चमेरा- ॥, कुरिचू तथा कालपोंग इसके अनुकरणीय उदाहरण हैं । परियोजनावार प्रगति नीचे दिए अनुसार है :

चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण- ॥
(300 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश :

परियोजना स्थल पर सामग्री एकत्र करने का कार्य ठेकेदार द्वारा पूरा कर लिया गया है। बुनियादी विकास कार्यों का काम प्रगति पर है। डाइवर्शन टनल पूरी कर ली गई है तथा कंक्रीट लाइनिंग का कार्य शुरू हो गया है। नदी को निर्धारित कार्यक्रम से एक वर्ष पूर्व ही मोड़े जाने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आवासीय तथा गैर-आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूरे जोरों पर है। हैडरेस टनल के लिए विभिन्न एडिट्स की खुदाई पूरी कर ली गई है तथा हैडरेस टनल की 1748 मीटर व टेलरेस टनल की 907 मीटर तक खुदाई कर ली गई है। पावर हाउस, डिसिल्टिंग बेसिन तथा बांध के सिविल कार्य प्रगति पर हैं। अब तक की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम से आगे है। इस परियोजना के मई, 2004 में पूरी होने की संभावना है।

धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना
(280 मेगावाट) उत्तर प्रदेश :

भूमि अधिग्रहण व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य जैसे बुनियादी विकास कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और भवन निर्माण गतिविधियों में संतोषजनक प्रगति हो रही है। डाइवर्शन टनल में हैडिंग भाग में 100% तथा बैंचिंग भाग में 93% खुदाई पूरी कर ली गई है। सभी चारों कांट्रेक्ट पैकेज यानी मुख्य सिविल निर्माण कार्य (लॉट । व ॥) इलैक्ट्रो मैकेनिकल निर्माण कार्य (लॉट ॥।) तथा हाइड्रो मैकेनिकल निर्माण कार्य (लॉट IV) प्रदान कर दिए गए हैं और लॉट । व ॥ के ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल पर सामग्री एकत्रित करने का कार्य प्रगति पर है। प्रभावित परिवारों के लिए निगम की नीति के मानदंडों के अनुसार रोज़गार सहित पुनर्वास के लिए परियोजना में नियुक्ति/नौकरी का काम

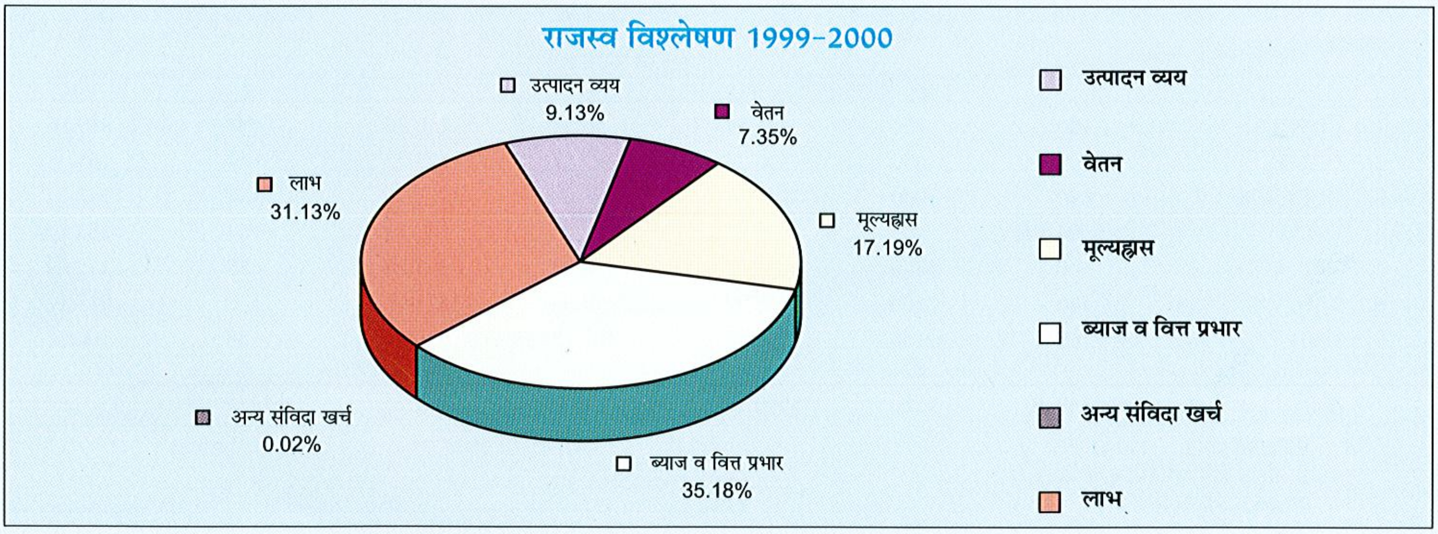

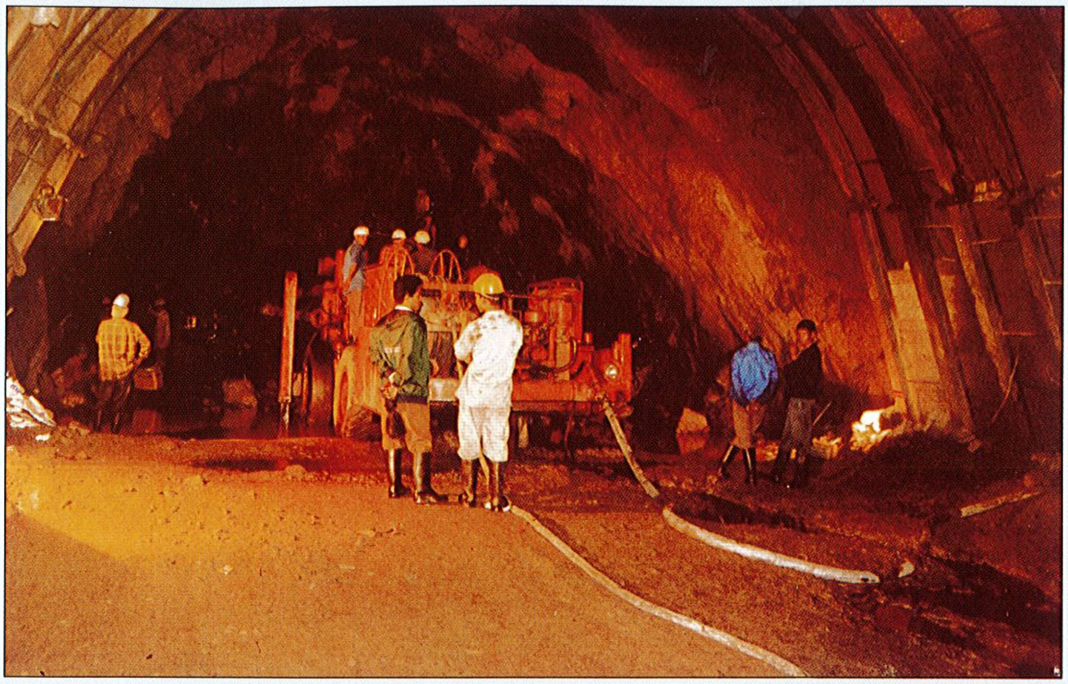

280 मेगावाट धौलीगंगा परियोजना (उत्तर प्रदेश)-निर्माणाधीन डाइवर्शन टनल

लगभग पूरा हो चुका है। इस परियोजना के मार्च, 2005 में पूरी होने की संभावना है।

दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट) जम्मू व कश्मीर :

इस परियोजना में पिछली रिपोर्ट के बाद से अब तक हैडरेस टनल क्षेत्र में दिनांक 21.7.2000 को टनल बोरिंग मशीन के सामने चट्टान टूटने से हुए नुकसान को छोड़कर कार्य की प्रगति संतोषजनक रही है। टनल बोरिंग मशीन की सहायता से परम्परागत ड्रिलिंग तथा ब्लास्टिंग उपाय अपनाए गए। 31.8.2000 के अनुसार हैडरेस टनल की कुल 10.6 कि.मी. लंबाई में से 7.218 कि.मी. (68.09%) की खुदाई पूरी कर ली गई है। तीनों उत्पादन यूनिटों का उत्थापन कार्य प्रगति पर है। दिसंबर, 99 में स्पिलवे के माध्यम से नदी को मोड़ा जा चुका है और बांध के 1,2,3,4,5 तथा 7 नम्बर के ब्लॉकों की कंक्रीटिंग पूरी हो चुकी है। अन्य ब्लॉकों की कंक्रीटिंग का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के दिसंबर, 2003 तक पूरी होने की संभावना है।

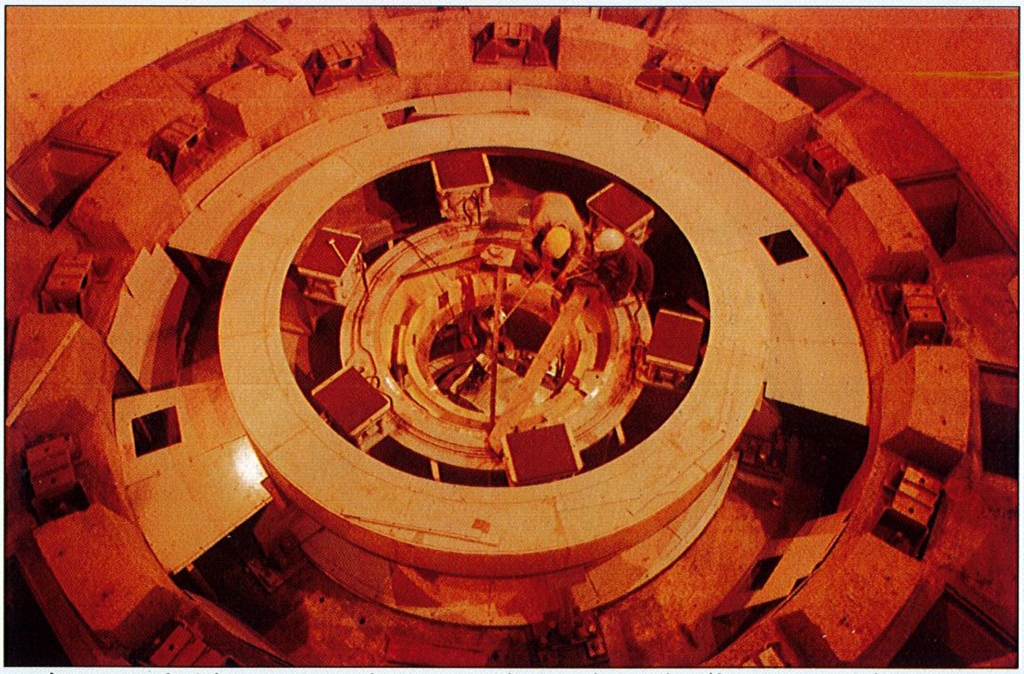

390 मेगावाट दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर)-पावर हाउस में यूनिट-। के लिए लोउर ब्रैकेट का उत्थापन कार्य

कुरिचू जल विद्युत परियोजना (45 मेगावाट), भूटान :

बुनियादी विकास कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। बांध की खुदाई 100% तथा कंक्रीटिंग 84.49% पूरी कर ली गई है। पावर हाउस में अगस्त, 2000 तक कुल 1,93,000 क्यू.मी. खुदाई में से 1,90,905 क्यू.मी. खुदाई तथा कुल 93,060 क्यू.मी. कंक्रीटिंग में से 67,267 क्यू.मी. कंक्रीटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। हाइड्रो मैकेनिकल कार्यों में पहली और दूसरी अवस्था में इमबेडेड हिस्से लगाने का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की पहली यूनिट निर्धारित कार्यक्रम से छः महीने पूर्व ही मार्च, 2001 तक पूरी होने की सम्भावना है। इस परियोजना को सितंबर, 2001 तक पूरी तरह संचालित करने का कार्यक्रम है और आशा है कि मशीनें निर्धारित समय से पूर्व ही संचालित होंगी।

5.25 मेगावाट कालपोंग परियोजना (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह)-निर्माणाधीन कंक्रीट बाँध

के लिए दिनांक 3.1.2000 को पुनः संशोधित नोट प्रस्तुत किया गया। डीवीसी के साथ विद्युत क्रय करार पर 31.12.99 को हस्ताक्षर किए गए। बिहार को 12% निःशुल्क बिजली देने के समायोजन तथा डीवीसी को 10% बिजली देने के बाद विद्युत उत्पादन के शेष भाग के लिए दिनांक 14.7.2000 को बिहार सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, क्योंकि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों ने यह संकेत दिया था कि शायद वे परियोजना से बिजली न लें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से सीसीईए द्वारा पर्यावरण मंजूरी का अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी तथा सीसीईए से निवेश के लिए अनुमोदन प्राप्त होने के बाद परियोजना के प्रमुख निर्माण कार्य आरंभ किए जाएंगे।

कालपोंग जल विद्युत परियोजना (5.25 मेगावाट), अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह :

कंक्रीट बांध, रॉकफिल बांध और पावर हाउस की खुदाई पूरी कर ली गई है और 32,060 क्यू.मी. कंक्रीटिंग में से 25,495 क्यू.मी. कंक्रीट बांध में डाल दी गई है तथा पावर हाउस में 530 क्यू.मी. का कार्य पूरा कर लिया गया है। टनल बोरिंग पूरी हो गई है और 127 मीटर में से 118 मीटर कंक्रीट लाइनिंग का कार्य पूरा हो गया है। इस परियोजना के अब निर्धारित कार्यक्रम से 15 महीने पहले पूरा होने की संभावना है।

कोयल कारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट), बिहार :

पहले चरण में दिसंबर, 98 के मूल्य स्तर पर लगभग 3630 मिलियन रुपए की लागत पर निर्माण पूर्व तथा बुनियादी गतिविधियां शुरू करने के लिए सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त करने

7. नई शुरुआत

अंतिम रिपोर्ट के बाद से कार्यान्वयन के अधीन नई परियोजनाओं की स्थिति सूचित करते हुए निदेशकों को हर्ष हो रहा है :

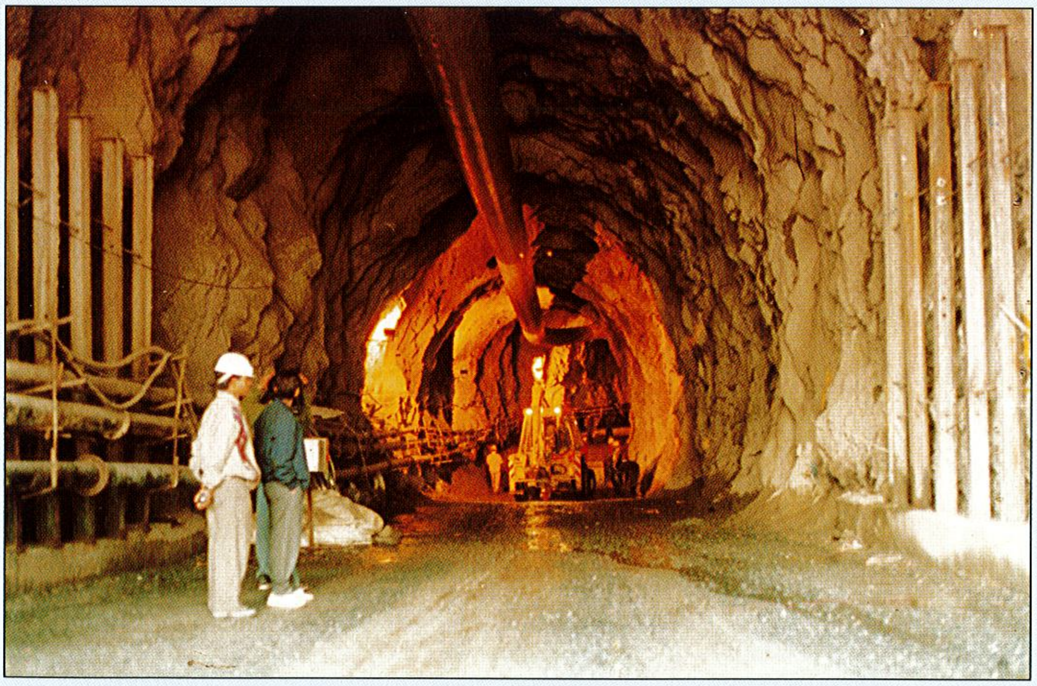

300 मेगावाट चमेरा चरण- II परियोजना (हिमाचल प्रदेश)-निर्माणाधीन टेलरेस टनल

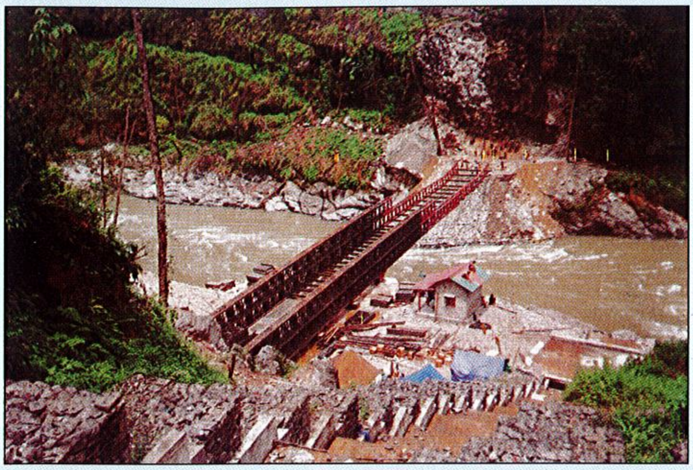

510 मेगावाट तीस्ता चरण-V परियोजना (सिक्किम)-बाँध स्थल पर बैली ब्रिज का उत्थापन कार्य

तीस्ता चरण-V जल विद्युत परियोजना (510 मेगावाट), सिक्किम :

परियोजना को जनवरी, 2000 में 21,980.4 मिलियन रुपए की लागत पर मंजूरी प्राप्त हो गई थी। निर्माण पूर्व तथा साधन जुटाने संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। पूर्वनिर्मित 72 सिंगल रूम ढांचों का निर्माण पूरा हो गया है। बाँध स्थल पर बैली ब्रिज का काम पूरा हो गया है और परियोजना स्थल तक पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विभिन्न एडिट्स, सड़कों और खुदाई क्षेत्र तक पहुँचने के लिए सर्वेक्षण का कार्य लगभग पूरा होने वाला है। मुख्य हैडरेस टनल के समानांतर सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है। अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग तथा भूगर्भीय जांच का कार्य प्रगति पर है। स्टीप डैम/पावर हाउस स्लोप का लेजर बीम द्वारा स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। वन विभाग सहित राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों ने जलग्रहण क्षेत्र सुधार कार्य के लिए विस्तृत योजना तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया है ।

डाइवर्शन टनल के निर्माण के लिए ठेका दिनांक 29.8.2000 को दिया गया था। एचआरटी कार्य के लिए ठेकेदारों की पूर्व-योग्यता संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है और एचआरटी कार्य के लिए बोलियां 31.8.2000 को जारी कर दी गई थीं।

लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (90 मेगावाट), मणिपुर :

निर्माण पूर्व गतिविधियों और बुनियादी सुविधाओं के विकास का कार्य परियोजना स्थल पर शुरू हो चुका है। कुछ कार्यालयों और रिहायशी आवासों का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है। लोकतक पावर हाउस के डाउनस्ट्रीम में गेज डिस्चार्ज ऑबजरवेशन का कार्य प्रगति पर है। बांध और पावर हाउस स्थलों पर भूगर्भीय एवं भू-तकनीकी अन्वेषण संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। भूमि-अधिग्रहण और बांध स्थल पर बिजली की व्यवस्था कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। सीमा सड़क संगठन ने परियोजना के लिए सड़क निर्माण करने से संबंधित सर्वेक्षण कार्य पहले से ही शुरू कर दिए हैं और उनकी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है।

परियोजना के घटकों के निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों की पूर्व-योग्यता का काम पूरा हो चुका है तथा शीघ्र ही बोलियां जारी करने की संभावना है। प्रतिकूल कानून व व्यवस्था और सुरक्षा की कमी के कारण परियोजना कार्य बाधित हो रहे हैं।

800 मेगावाट पार्बती चरण- II परियोजना (हिमाचल प्रदेश)-प्रस्तावित बाँध स्थल

एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री योगेन्द्र प्रसाद और सिक्किम सरकार के सचिव (विद्युत) श्री पी.पी. खेरेल, एनएचपीसी द्वारा सिक्किम में तीस्ता चरण-V परियोजना का निष्पादन करने के लिए करार पर हस्ताक्षर करते हुए

8. अन्वेषणाधीन परियोजनाएं

पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-॥ (800 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश

दिसंबर, 1999 के प्रथम सप्ताह में इसके लिए पीआईबी की मंजूरी प्राप्त हो गई थी। विस्तृत अन्वेषण और स्वीकृति संबंधी कार्यों तथा परियोजना में बुनियादी सुविधाओं का विकास कार्य शुरू करने के लिए सीसीईए से 776.2 मिलियन रुपए की मंजूरी प्राप्त हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्बती नदी घाटी (पहला फेज 800 मेगावाट चरण-॥, दूसरा फेज-1251 मेगावाट चरण-। व ।।।) में जल विद्युत विकास का दिनांक 12.12.1999 को शिलान्यास किया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पार्बती परियोजना चरण-॥ के लिए स्थल की मंजूरी के लिए दिनांक 1.6.1999 को स्वीकृति दे दी है। डीपीआर में संशोधन करने के लिए सभी अतिरिक्त अन्वेषण कार्य पूरे हो गए हैं तथा संशोधित डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। मणिकरण-पुल्गा बांध स्थल की 16 कि.मी. लंबी सड़क को पुख्ता करने का कार्य पूरा हो गया है।

दिहांग व सुबानसिरी परियोजनाएं (16,200 मेगावाट), अरुणाचल प्रदेश

दिहांग/सुबानसिरी की अपर/मिडिल स्कीमों के संबंध में सर्वेक्षण व अन्वेषण तथा अनिवार्य बुनियादी सुविधाओं के लिए अनुमान मार्च, 2000 में विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इन सभी चारों परियोजनाओं के लिए अन्वेषण संबंधी अनुमानित औसत लागत लगभग 3,000 मिलियन रुपए है। इन अनुमानों के लिए मंजूरी शीघ्र ही मिलने की संभावना है।

9. लघु जल विद्युत परियोजनाएं

निगम दूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली की स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोटी/लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कार्य हाथ में ले रहा है।

बिहार राज्य में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। राज्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय बनाने के लिए पटना राज्य में संपर्क कार्यालय की स्थापना कर दी गई है।

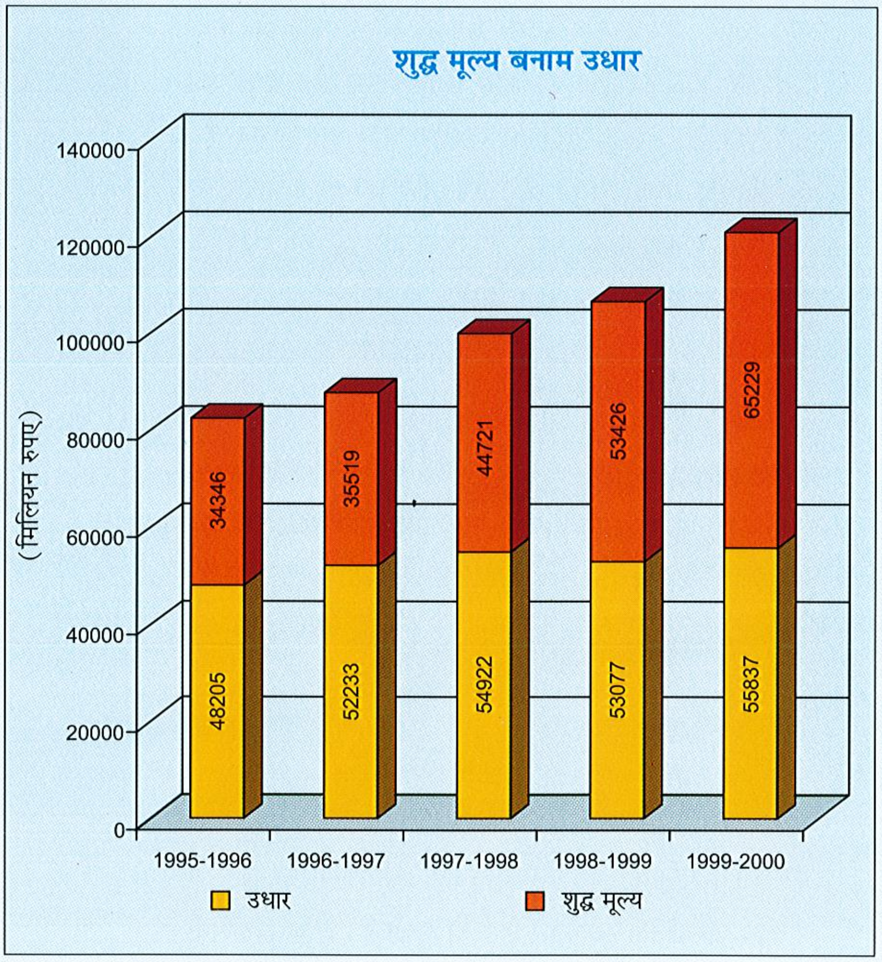

एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री योगेन्द्र प्रसाद और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री के.एस. शर्मा, मध्य प्रदेश की इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद दस्तावेज का आदान-प्रदान करते हुए

अरुणाचल प्रदेश राज्य ने निगम को 12 परियोजनाएं सौंपने में अपनी रूचि दिखाई है। एन.एच.पी.सी. के विशेषज्ञों की एक टीम परियोजना स्थल पर पहले से ही निष्पादित किए जा चुके कार्य की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कामबांग परियोजना के दौरे पर गई थी। अरुणाचल प्रदेश के साथ कामबांग परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। सिप्पी और जडगिन परियोजनाओं के निष्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

10. संयुक्त उद्यम

निदेशकगण को यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि निगम ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ इंदिरा सागर (1000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर (520 मेगावाट) जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है ताकि उस राज्य में जल विद्युत को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए **''नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन''** के नाम से एक अलग कंपनी बनाई गई है, जिसमें उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी की निगमित और प्रदत्त हिस्सा पूंजी में से 51% भाग निगम का होगा।

11. परामर्शी सेवाएं

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने विभिन्न संगठनों के साथ परामर्श संबंधी अनेक कार्य शुरू किए हैं। निगम को आईएफसीआई लि. द्वारा **''लैंडर्स इंडिपेंडेंट इंजीनियर्स''** के तौर पर नियुक्त किया गया है तथा कंसोर्टियम ऑफ इंडियन बैंक ने मध्य प्रदेश में 400 मेगावाट की महेश्वर परियोजना और हिमाचल प्रदेश में 300 मेगावाट की बसपा चरण-॥ परियोजना, (दोनों ही प्राइवेट क्षेत्र में) को प्रोन्नत करने के लिए नियुक्त किया है। निगम ने जल विद्युत विकास के क्षेत्र में देश तथा विदेश में संयुक्त रूप से परामर्शी सेवाएं शुरू करने के लिए, हार्ज़ा इंजीनियरिंग कंपनी इंटरनेशनल एल.पी., यू.एस.ए. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने वर्तमान हाइड्रो पावर प्लांटों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्हें अद्यतन/अधिक समय तक बनाए रखने से संबंधित अध्ययनों के लिए और नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक दूसरे को विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम को विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, कुवैत फंड फॉर अरब इकोनामिक डेवलपमेंट, केंद्रीय जल आयोग और परामर्शी विकास केंद्र के साथ जल विद्युत क्षेत्र में एक परामर्शदाता के तौर पर पंजीकृत किया गया है।

12. पूंजीगत ढाँचा

निगम की वर्तमान प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 50,000 मिलियन रुपए है और नई परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को 100,000 मिलियन रुपए तक बढ़ाने के संबंध में जुलाई, 1999 में एक प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय को भेजा गया था।

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 4.8.2000 के पत्र सं. 16/36/99-डीओ(एन.एच.पी.सी.) के द्वारा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-13 के अंतर्गत

निगम के वर्तमान शेयरों के साथ-साथ 1000/- रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 20 मिलियन अतिरिक्त शेयरों का सृजन करके प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को 50,000 मिलियन रुपए से 70,000 मिलियन रुपए तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया है।

दिनांक 31.3.2000 तक कुल प्रदत्त पूंजी 39,972 मिलियन रुपए थी और वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह 2,810.8 मिलियन रुपए और बढ़ गई है।

13. बॉण्ड

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि निगम ने बॉण्ड-धारकों और अन्य संस्थानों की वचनबद्ध देयताओं को समय पर चुकता करने के लिए लगातार अच्छा रिकार्ड कायम रखा है। निगम ने वर्ष के दौरान 5961.8 मिलियन रुपए के डी-सीरीज़, ई-सीरीज़, एच-सीरीज़(आंशिक), आई-सीरीज़, के-सीरीज़, एल-सीरीज़ के बॉण्ड सफलतापूर्वक शोधित (रिडीम्ड) कर दिए हैं तथा यू.टी.आई., एच.डी.एफ.सी. एवं केनरा बैंक के 1227.2 मिलियन रुपए के आवधिक ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया है।

निगम ने मांगे गए विकल्प का प्रयोग करते हुए उपरोक्त सीरीज़ के बॉण्डों के शोधन में से 1638.5 मिलियन रुपए का शोधन बॉण्डों का पुनर्भुगतान करके किया है, जिससे निगम को ब्याज में 155 मिलियन रुपए की सीमा तक बचत हुई है।

14. संचार व सूचना

कार्य-निष्पादन में सुधार और वृद्धि के लिए वर्ष के दौरान अतिरिक्त डेस्कटॉप कंप्यूटर लगाए गए। इसके अतिरिक्त 200 नोड्स वाला लोकल एरिया नेटवर्क लगाने का काम भी शुरू किया गया, जिससे क्रॉस-फंक्शनल इंटीग्रेटेड डाटा प्रोसेसिंग में आसानी होगी। सभी प्रमुख परियोजनाओं, निगम मुख्यालय तथा लोड डिस्पैच केंद्रों को जोड़ने के लिए वी-सेट आधारित वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू.ए.एन.) लगाने का कार्य भी शुरू किया गया है।

आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि एल.डी.एस.टी., जो लगातार विश्वसनीय संचार सिस्टम उपलब्ध करा रहा है, के अतिरिक्त परियोजनाओं में ''इनमारसेट'' आधारित सैटेलाइट फोन लगवाने से संचार व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है।

निगम मुख्यालय में इन्ट्रानेट का विकास किया गया है ताकि विभागों के बीच परस्पर सूचना प्राप्त होती रहे। केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के सभी उपक्रमों को आपस में जोड़ने के लिए एक सी.पी.एस.यू.-नेट का मॉडल भी विकसित किया गया है।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि विद्युत मंत्रालय के अधीन एन.एच.पी.सी. पहला ऐसा सरकारी संगठन है, जिसने वाई-2के का अनुपालन प्राप्त किया है।

15. आई.एस.ओ.-9001 प्रमाण-पत्र

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपका निगम अपने मुख्यालय, फरीदाबाद में गुणवत्ता सिस्टम के लिए आई.एस.ओ.-9001 का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में समर्थ हुआ।

इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत प्लानिंग, डिजाइन, मॉनीटरिंग संचालन/रख-रखाव, निर्माण कार्यों के लिए वित्त व्यवस्था एवं प्रापण तथा जल विद्युत पावर स्टेशनों की सर्विस संबंधी सभी कार्य आते हैं तथा यह प्रमाण-पत्र तीन वर्षों के लिए मान्य रहता है।

16. समझौता ज्ञापन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार तथा एन.एच.पी.सी. के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि निगम ने 12 पैरामीटरों में से 8 में अपना कार्य-निष्पादन उत्कृष्ट ग्रेड में बनाए रखा है। जहां तक अन्य 4 पैरामीटरों का संबंध है उनमें निगम द्वारा उत्तम प्रयास किए जाने के बावजूद भी उपलब्धियों की प्राप्ति में कमी होने के कारण उन्हें ''उत्कृष्ट'' श्रेणी में नहीं रखा गया था। ये कमियां उत्पादन (नदी में पानी के कम बहाव के कारण), राजस्व की वसूली (राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय समस्याओं के कारण), लक्ष्य-दर-लक्ष्य उपलब्धि (दुलहस्ती में भूगर्भीय समस्याओं के कारण) तथा पुनः तैनाती (अतिरिक्त स्टाफ के कारण) के क्षेत्रों में रही हैं। फिर भी लगातार छठे वर्ष के लिए समग्र रेटिंग ''उत्कृष्ट'' रही है।

17. ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्यौगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्यौगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय से संबंधित सूचना, कंपनी नियमावली, 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों को प्रकट करना) के साथ पठित कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(1)(ई) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रोद्यौगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा अर्जन व व्यय का ब्यौरा इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV में दिया गया है।

18. पर्यावरणीय वचनबद्धता

पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को ध्यान में रखते हुए एन.एच.पी.सी. द्वारा अपनी विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करते समय इस दिशा में सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं। पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकि संरक्षण निगम की गुणवत्ता नीति का अभिन्न अंग है। योजना बनाने की अवस्था से ही पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाता है और परियोजनाओं के लागत अनुमानों में इस संबंध में वित्तीय प्रावधान किए जाते हैं। पर्यावरण के प्रति एन.एच.पी.सी. का सकारात्मक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने से प्रकट होता है कि परियोजनाओं में निम्नतम स्तर तक के कर्मचारी पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सजग हों, इसके साथ ही यह संदेश क्षेत्र की स्थानीय जनता तक भी पहुंचाया जा रहा है। निर्माण अवस्था के दौरान अपनाए गए न्यूनीकरण उपायों की क्षमता को मान्य बनाने तथा यह जानने के लिए कि क्या परिणाम संतोषजनक हैं, निर्माण के पश्चात् पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। कार्यान्वयन के लिए आरंभ की गई एन.एच.पी.सी. की सभी परियोजनाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से मूल्यांकन किया गया है और निर्माण की योजना इस प्रकार बनाई गई है, जिससे पर्यावरण न्यूनतम रूप से प्रभावित हो और निर्माण कार्यों में प्रगति के साथ-साथ सुरक्षा उपाय भी अपनाए जाएं। निगम ने आई.एस.ओ.-14001 प्रमाण-पत्र के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को अपना आवेदन भेजा है और इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

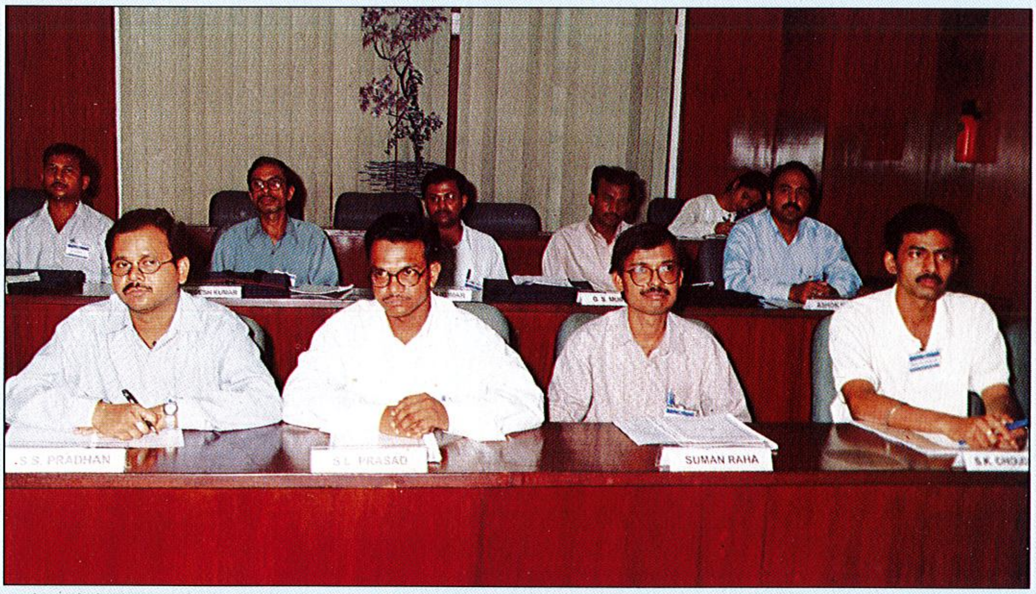

कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक झलक

19. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन को एक मूल्यवान संपत्ति मानते हुए निगम में विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को नामित करके उनके तकनीकी कौशल के विकास व उसे प्रोन्नत करने के लिए निरंतर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम में नए भर्ती इंजीनियरों को संगठन की कार्यविधि से परिचित कराने के लिए निगम द्वारा लम्बी अवधि के कई रेजीडेंशियल इंडक्शन-कम-ओरिएंटेशन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। निगम द्वारा कर्मचारियों को सूचना प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में ट्रेनिंग देने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बदलते हुए कार्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए वर्ष के दौरान कार्यपालकों को सेमिनार, कांफ्रेंस तथा ट्रेनिंग कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए विदेश भी भेजा गया।

विविध स्तरों के कर्मचारियों की कार्य-निष्पादन क्षमता तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए भी समय-समय पर ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

20. स्टाफ कल्याण व औद्योगिक संबंध

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी परियोजनाओं व निगम मुख्यालय में औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे। निगम ने असंगठित सुपरवाइज़रों सहित बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमानों में दिनांक 1.1.1997 से संशोधन के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देश सिद्धांत रूप में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

श्री एस.सी.शेर, मुख्य इंजीनियर, लोकतक जल विद्युत परियोजना की आतंकवादियों द्वारा मणिपुर में निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई। श्री एस.सी.शेर ने निगम की सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। निगम में उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए निदेशक मंडल ने उनके परिवार को अन्य लाभों के अतिरिक्त मुआवज़े का भुगतान भी अनुमोदित किया है। निगम ने श्री एस.सी.शेर की स्मृति में एक पुरस्कार आरंभ किया है, जो निगम के सर्वश्रेष्ठ ट्रेनी इंजीनियर को ट्रेनिंग अवधि के दौरान उनके सर्वोत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए प्रदान किया जाएगा।

निगम ने निगम मुख्यालय के कर्मचारियों के आवासीय परिसर के निर्माण के लिए सराय ख़्वाजा के पास ज़मीन खरीद ली है।

21. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम ने आरक्षित रिक्तियों की पिछली संख्या (बैकलॉग) को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया।

22. सतर्कता गतिविधियां

वर्ष के दौरान निगम द्वारा निगम मुख्यालय तथा परियोजनाओं में विभिन्न सतर्कता गतिविधियां, आकस्मिक निरीक्षण तथा ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता प्रबंधन" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन श्री एन.विठ्ठल, मुख्य सतर्कता आयुक्त ने किया। मुख्य सतर्कता आयुक्त ने सेमिनार के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा तैयार व प्रकाशित सतर्कता मामलों संबंधी परिपत्रों का सार संग्रह जारी किया।

23. राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी भाषा के गहन प्रयोग के लिए वास्तविक प्रयास किए गए और इसके लिए आवश्यक आदेश/निर्देश जारी किए गए। परियोजनाओं व निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों तथा अहिंदीभाषी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभाषा के स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाएं व ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों और परियोजनाओं को अक्षर सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया। हिंदी में भी एन.एच.पी.सी. वेबसाइट आरंभ किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद द्वारा निगम मुख्यालय को लगातार दूसरी बार "राजभाषा शील्ड" प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त निगम मुख्यालय को हिंदी के प्रगामी प्रयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत राजभाषा शील्ड (द्वितीय पुरस्कार), नगर

एनएचपीसी द्वारा पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित एथलेटिक मीट में भाग लेते हुए एनएचपीसी टीम

राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद द्वारा नगर राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार), एन.टी.पी.सी. द्वारा एन.टी.पी.सी. राजभाषा शील्ड जैसे अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए।

24. सामाजिक कार्य

एन.एच.पी.सी. के कर्मचारियों द्वारा प्राकृतिक आपदाग्रस्त लोगों की सहायता के प्रयास जारी हैं। वर्ष के दौरान निगम के कर्मचारियों ने उड़ीसा तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में अंशदान के तौर पर दिया। एन.एच.पी.सी. महिला कल्याण संस्था ने भी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में एक लाख रुपए का अंशदान दिया। महिला कल्याण संस्था ने परियोजनाओं के आसपास के क्षेत्रों में अनेक सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए। इन गतिविधियों में कारगिल युद्ध की विधवाओं की सहायता, परिवार कल्याण कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य जागरुकता एवं प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

25. खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियां

निगम द्वारा खेलकूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी हैं और इसी संदर्भ में निगम ने नई दिल्ली में तृतीय अंतर-विद्युत क्षेत्र एथलेटिक मीट का आयोजन किया।

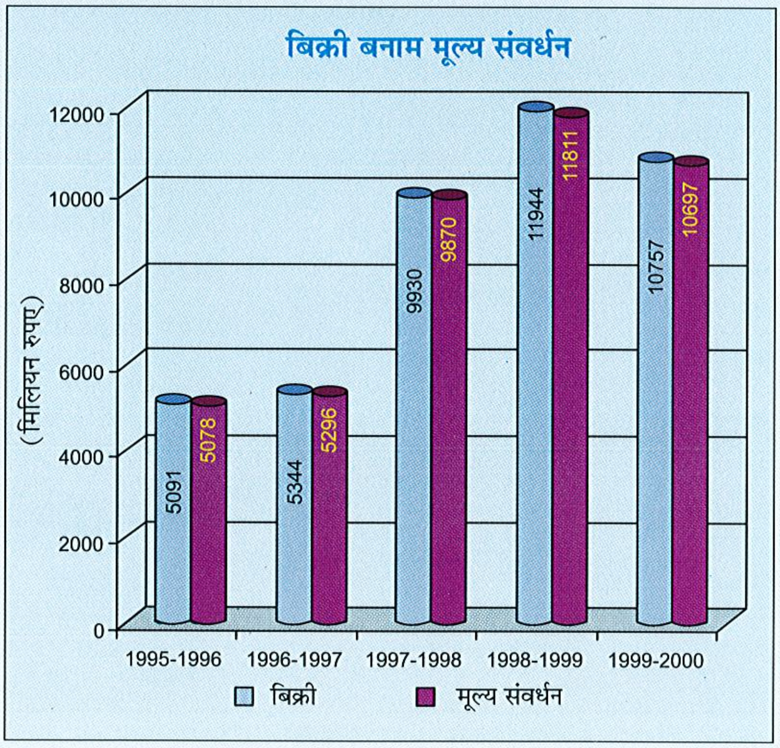

एन.एच.पी.सी. की टीम ने पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित विविध टूर्नामेंटों में भी भाग लिया।

26. निगम के क्षेत्रीय कार्यालय

निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करने और प्रभावशाली परियोजना प्रबंधन करने की दृष्टि से निगम ने जम्मू, बनीखेत, लखनऊ, चंडीगढ़ और सिलीगुड़ी में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

27. निगम की स्थापना का रजत जयंती वर्ष

वर्ष 2000 निगम के रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। रजत जयंती वर्ष के आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई है । इस संबंध में सलाल परियोजना में हाइड्रो पावर म्यूज़ियम, चमेरा परियोजना में हाइड्रो पावर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने और देश में जल विद्युत की प्रोन्नति के लिए लाइफ टाइम उपलब्धि पुरस्कार आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।

28. लेखापरीक्षक

मैसर्स जैन चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 1999-2000 के लिए लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया। मैसर्स के.के. घई एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, मैसर्स साहा गांगुली एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कलकत्ता तथा मैसर्स के.बी. शर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, जम्मू को निगम के शाखा लेखापरीक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया।

29. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निगम द्वारा शामिल विभिन्न टिप्पणियों को दर्शाने वाली लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनुसूची-16 में दी गई है, जो कि स्वतः स्पष्ट है। टिप्पणियों के उत्तर अनुबंध-। में दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उनके उत्तर अनुबंध-॥ में दिए गए हैं।

सुबानसिरी परियोजना-प्रस्तावित बाँध स्थल का डाऊन स्ट्रीम दृश्य

180 मेगावाट बैरास्यूल परियोजना (हिमाचल प्रदेश)-पावर हाऊस

31 मार्च,2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-III में दी गई है।

30. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी नियमावली, 1975 (कर्मचारियों के ब्यौरे) के साथ पठित कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 217(2क) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-V में दी गई है।

31. निदेशकों का विवरण

श्री ए.के.गंगोपाध्याय, कार्यपालक निदेशक को दिनांक 7 जुलाई, 2000 से निगम के निदेशक (परियोजनाएं) के तौर पर नियुक्त किया गया है । श्री एन.विश्वनाथन, निदेशक (तकनीकी) के सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त होने पर, दिनांक 31 जुलाई, 2000 से निगम की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप, श्री आर.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक) को दिनांक 11 सितंबर,2000 से निदेशक (तकनीकी) के तौर पर नियुक्त किया गया है । श्री जे.वासुदेवन, अपर सचिव की दिनांक 24.12.1999 से निदेशक के तौर पर सेवाएं समाप्त हो गई हैं । बोर्ड श्री एन.विश्वनाथन और श्री जे.वासुदेवन का आभार प्रकट करता है, जिन्होंने बोर्ड के निदेशकों के तौर पर अपना योगदान तथा मार्गदर्शन दिया ।

श्री अजय शंकर, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय को दिनांक 24.12.1999 से निगम के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।

32. स्वर्गीय श्री पी.आर. कुमारमंगलम को श्रद्धांजलि

स्वर्गीय श्री पी.आर. कुमारमंगलम ने वर्ष 1998 में विद्युत मंत्रालय की बागडोर संभाली थी और लगभग 2 वर्षों की अवधि में न केवल मंत्रालय में बल्कि पूरे पावर सेक्टर में उन्होंने एक शानदार बदलाव किया । उन्होंने अनेक नई नीतियों को बनाने, संशोधित करने और उन्हें लाभदायक बनाकर उपयोग में लाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य किया । उन्होंने हाइड्रो पावर विकास, मेगा पावर पॉलिसी, इलैक्ट्रिसिटी रेग्युलेट्री कमीशन, इलैक्ट्रिसिटी

बिल 2000 का निपटान आदि से संबंधित नई पॉलिसी बनाई तथा पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना की । श्री कुमारमंगलम में जल विद्युत का विकास करने के प्रति एक उत्साह था और इसके लिए उन्हें एन.एच.पी.सी. से बहुत-सी आशाएं थीं। उन्होने एन.एच.पी.सी. को निष्पादन के लिए अनेक प्रतिष्ठित जल विद्युत परियोजनाएं दिलाईं, जैसे पार्बती, नर्मदा सागर, सुबानसिरी, दिहांग, तीस्ता-V, लोकतक डाउनस्ट्रीम, जम्मू कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाएं, कावेरी बेसिन परियोजनाएं आदि । उनके संरक्षण में एन.एच.पी.सी. जल विद्युत विकास के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान के साथ एक प्रतीक के रूप में उभरी है । उनके निधन से देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है, विशेषत: एन.एच.पी.सी. के लिए । निदेशक मंडल, श्री कुमारमंगलम को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उत्साहपूर्वक भावना के साथ उनके सपने को साकार करने का संकल्प करता है ।

33. आभार

निदेशक मंडल, भारत सरकार और विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, लोक उद्यम विभाग, कंपनी कार्य विभाग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारों के साथ-साथ क्षेत्रीय और राज्य विद्युत बोर्डों के सहयोग और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है ।

यह निगम, अंतर्राष्ट्रीय तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ निवेशकों का एन.एच.पी.सी. पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भी आभारी है । निगम, पावर स्टेशनों से बिजली लेने वाले लाभभोक्ताओं के साथ-साथ अपने अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों, जिन्होंने परामर्शी कार्यों के लिए ठेके देकर एन.एच.पी.सी. पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, की भी विशेष रूप से सराहना करता है ।

बोर्ड, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा बैंकों की भी उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए सराहना करता है ।

इसके साथ ही, बोर्ड निगम के सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग से निगम को बहुमूल्य उपलब्धियां प्राप्त हो सकी हैं ।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(योगेन्द्र प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26 सितंबर, 2000
स्थान : फरीदाबाद

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा पद्धति

1.1 वित्तीय सारणियां पूर्ववर्ती लागत आधार पर तैयार की जाती हैं।

1.2 प्राप्त होने पर/वसूली के लिए यथोचित ढंग से निर्धारण करने योग्य ब्याज/अधिभार, जो देनदारों से वसूली योग्य है, को राजस्व के रूप में माना गया है।

2. स्थिर परिसंपत्तियां

2.1 स्थिर परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण के आधार पर किया गया है। फिर भी, जहां ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के प्रस्तुत न करने/समायोजन के अभाव में वास्तविक लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, उन्हें अनुमानित लागत के आधार पर दर्शाया गया है। स्थिर परिसंपत्तियों के लिए बाहरी एजेंसियों से प्राप्त हिस्सा, यदि कोई है, को शुद्ध रूप में दर्शाया गया है।

2.2 निगम की स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित परिसंपत्तियों को स्थिर परिसंपत्तियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

2.3 भूमि के मुआवजे और अन्य खर्चों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत के रूप में दर्शाया गया है।

2.4 परियोजनाओं में सहायता अनुदान/एजेंसी अथवा जमा आधार पर प्राप्त/सृजित परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इनका स्वामित्व अधिकार निगम के पास नहीं है।

2.5 परियोजनाओं में अतिरिक्त घोषित किए गए निर्माण उपस्करों को अंकित मूल्य/शुद्ध प्राप्य मूल्य से कम दर्शाया गया है।

3. चालू पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य सुविधाओं के रख-रखाव व उत्थान आदि पर हुए खर्च को ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च'' में डाला गया है।

3.2 वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने पर ''निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च'' की पूरी राशि, भूमि व बुनियादी ढांचागत कार्यों को छोड़कर, परियोजना के अचल मुख्य घटकों में डाली गई है।

4. विविध खर्च

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद परियोजना का विविध खर्च 5 वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन

5.1 लीज होल्ड भूमि की किश्तों को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।

5.2 जिस वर्ष में परिसंपत्तियां उपयोग में लाए जाने के लिए उपलब्ध होती हैं, इसके बाद के वर्ष में मूल्यह्रास विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित तथा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर सीधे तौर पर चार्ज किया जाता है, इसमें वर्ष के दौरान खरीदी हुई उन परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, जिनका मूल्य 5000 रुपये अथवा इससे कम है तथा वर्ष के प्रारंभ में डब्ल्यू.डी.वी. के सदृश वे परिसंपत्तियां (अचल संपत्तियों को छोड़कर) भी शामिल नहीं हैं, जिन्हें वर्ष के दौरान मूल्यह्रास किया जाता है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत जिन परिसंपत्तियों के लिए दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों को अपना लिया जाता है।

6. माल सूचियों का मूल्यांकन

6.1 सामग्री तथा पुर्जों का मूल्यांकन औसत लागत के अनुसार किया जाता है। किन्तु बेकार माल के मूल्य का निर्धारण शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

6.2 वर्ष के दौरान जारी किए गए अतिरिक्त औजारों की किसी एक वस्तु की लागत 5000/- रुपए या इससे कम लागत को उपभोग खाते में डाला जाता है अन्य मामलों में 5 बराबर वार्षिक किश्तों में बट्टे खाते में डाला जाता है।

6.3 संचालित परियोजनाओं को संचालन व रख-रखाव के लिए जारी किए गए/की गई सामग्री जो वर्ष के अंत में स्थल पर अनुप्रयुक्त पड़ी है, का इंजीनियरिंग अनुमानो पर मूल्यांकन किया जाता है और इसे सामग्री के तौर पर लिया जाता है।

7. विनिमय अस्थिरता

विदेशी मुद्रा ऋणों/बकायों को वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार बदल/परिवर्तित किया जाता है। पूंजीगत परिसंपत्तियों के मामले में इसके अंतर को चालू पूंजीगत कार्य-स्थिर परिसंपत्तियों में डाला जाता है और चालू परिसंपत्तियों के मामले में इस अंतर को लाभ व हानि/निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च में डाला जाता है।

8. सेवानिवृत्ति हितलाभ

हर वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी, छुट्टी भुनाने तथा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य योजना की व्यवस्था है।

9. कुल बिक्री कारोबार

क) i) विनिमय दर परिवर्तन में बदलावों सहित ऊर्जा की बिक्री का परिकलन या तो अधिसूचित दरों या विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत दर नियतन के सिद्धातों पर प्राप्त अनंतिम दरों पर किया जाता है।

(ii) टैरिफ अधिसूचना और लाभभोक्ताओं के साथ समझौते के आधार पर दरों के अनुसार प्रोत्साहनों को मान्यता दी जाती है। लाभभोक्ताओं के साथ लंबित समझौते अथवा जहां दर-सूची अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई हैं, वहां इसकी स्वीकृति की संभावना को ध्यान में रखते हुए अनंतिम आधार पर प्रोत्साहन को मान्यता दी जाती है।

(iii) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप देने के कारण उठे समायोजनों, यद्यपि ये महत्वपूर्ण नहीं हैं, को संबंधित अंतिम रूप देने के वर्ष में प्रभावी किया जाता है।

ख) निर्माण ठेकों से लागत जमा/डिपाजिट/टर्नकी/परियोजना प्रबंधन/ठेकों से प्राप्त राजस्व को समापन पद्धति की प्रतिशतता पर निम्नलिखित रूप में मान्यता दी जाती है :

	कार्य की प्रगति	राजस्व की मान्यता
क)	66.67% तक	शून्य
ख)	66.67% से अधिक 90% तक	80%
ग)	90% से अधिक	100%

हानियां, जिनमें ठेकों में प्रत्याशित हानियां भी शामिल हैं, को तत्काल मान्यता दी जाती है।

10. निजी बीमा

तुलन-पत्र की तारीख ओ.एण्ड एम. परियोजनाओं के सकल ब्लॉक का 0.5% वार्षिक को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लाभ व हानि लेखे में चार्ज करके निजी बीमा रिजर्व खाते में हस्तांतरित किया गया है। इस प्रकार सृजित किए गए रिजर्व का उपयोग विशेषीकृत आकस्मिकताओं के लिए परिसम्पत्तियों की हानियों के लिए किया जाएगा।

11. विविध

11.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य, जो प्रमाणित नहीं किए गए हैं, के लिए देयताएं नहीं दी गई हैं क्योंकि इनका निरीक्षण और स्वीकार करने का काम निगम को करना है।

11.2 संचालित परियोजनाओं से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें सामान्य दर के अनुसार चार्ज की जाती हैं।

11.3 50,000/- रुपये और इससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्व अवधि व्ययों/आय को लेखों के स्वाभाविक शीर्ष में दर्शाया जाता है।

12. निगम मुख्यालय के लिए खर्च का आबंटन

निगम मुख्यालय का खर्च नीचे दिए अनुसार आबंटित किया गया है :

i) करों व शुल्कों को छोड़कर संचालनात्मक परियोजनाओं पर वर्ष के लिए विद्युत बिक्री के 1% की दर से

ii) ठेके के आधार पर परियोजनाओं के निर्माण के मामले में वर्ष के दौरान हुए खर्च के 5% की दर से।

iii) शेष खर्च वर्ष के दौरान शुद्ध पूंजीगत खर्च के अनुपात में अन्य परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

31 मार्च, 2000 का तुलन-पत्र

(मिलियन रुपए)

विवरण	अनुसूची सं.			31 मार्च, 2000 को			31 मार्च, 1999 को
निधियों के स्त्रोत							
हिस्सेदारों की निधियां							
हिस्सा पूंजी	1			39972			33376
हिस्सा पूंजी जमा			232			689	
इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि			4258			4185	
आरक्षित व अधिशेष	2		16906	61368		12721	50,971
ऋण निधियाँ	3						
आरक्षित ऋण			31912			28239	
अनारक्षित ऋण			23925	55837		24838	53,077
मूल्यह्रास के बदले बतौर पेशगी अग्रिम रूप से प्राप्त आय				3861			2,455
				121066			**106,503**
निधियों का उपयोग							
स्थिर पूंजीगत खर्च							
स्थिर परिसम्पत्तियां	4						
सकल ब्लॉक		77527			70904		
मूल्यह्रास		10290			8111		
शुद्ध ब्लॉक			67237			62793	
चालू पूंजीगत कार्य	5		27686			25760	
निर्माण सामग्री व पेशगियां	6		5115	100038		3228	91,781
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां	7						
माल सूचियां		830			420		
निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)		2142			567		
विविध देनदार		22809			16694		
नकद व बैंक शेष		1117			1022		
अन्य चालू परिसम्पत्तियां		269			243		
ऋण व पेशगियां		1608	28775		1840	20786	
घटाएं : चालू देयताएं व व्यवस्थाएं	8						
देयताएं		6139			4468		
व्यवस्थाएं		1627	7766		1600	6068	
शुद्ध चालू परिसम्पतियां				21009			14,718
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजन न की गई की सीमा तक)	9			19			4
				121066			**106,503**
लेखों तथा प्रासंगिक देयताओं पर टिप्पणियां	16						

अनुसूची 1 से 16 तक और लेखा नीतियां लेखों का अभिन्न अंग हैं।

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चोपड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

अशोक चोपड़ा
भागीदार

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2000

31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

(मिलियन रुपए)

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
बिक्री		12163		13094	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी		1406	10757	1150	11,944
संविदाएं व परामर्श (शुद्ध)			12		47
अन्य आय	10		2014		344
कुल आय			**12783**		**12,335**
खर्चे					
उत्पादन, प्रशासन व अन्य खर्चे	11		1167		1,119
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	12		939		1,425
मूल्यह्रास			2198		2,152
ब्याज व वित्त प्रभारें	13		4497		4,787
अन्य संविदा खर्चे	14		2		18
बट्टे खाते डाले गए खर्चे			-		228
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	15		(32)		(447)
कुल खर्चे			**8771**		**9,282**
वर्ष के लिए लाभ			**4012**		**3,053**
पिछले वर्ष से आगे ले जाया गया शेष लाभ			**4885**		**1,997**
प्रस्तावित लाभांश			150		150
आयकर के लिए व्यवस्था (लाभांश पर)			33		15
वर्ष 1998-99 के लिए लाभांश पर आय कर			2		-
पूंजी रिजर्व में हस्तान्तरण			-		-
बांड रिडेम्पशन रिजर्व में हस्तान्तरण			-		-
रिजर्व व अधिशेष में लाया गया शेष लाभ			**8712**		**4885**

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चोपड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2000

अशोक चोपड़ा
भागीदार

शेयर पूंजी

अनुसूची-1

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च 2000 को	31 मार्च 1999 को
प्राधिकृत		
50000000 इक्विटी शेयर 1000/- रु. प्रति शेयर	50000	50000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त		
1000/- रुपये प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 39972447 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 33375947) (इनमें से 6,29,529 शेयर ठेकों के नकद परसूएन्ट के अतिरिक्त कंसीडरेशन के लिए आबंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा आंशिक कंसीडरेशन के लिए किया गया है)	39972	33376
कुल	**39972**	**33376**

आरक्षित व अधिशेष

अनुसूची-2

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 1999 को शेष	बढ़ोत्तरी	कटौती	31 मार्च, 2000 को शेष
आरक्षित पूंजी (स्थिर परिसंपत्तियों की बिक्री)	1	-	-	1
बाण्ड रिडेम्पशन रिजर्व	5076	-	-	5076
स्व-बीमा रिजर्व	659	358	-	1017
सामान्य रिजर्व	2100	-	-	2100
लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	4885	3827	-	8712
कुल	**12721**	**4185**	**-**	**16906**

ऋण निधियाँ

अनुसूची-3

(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2000 को		31 मार्च, 1999 को
आरक्षित ऋण				
I. बॉण्ड (अपरिवर्तनीय, असंचयी)				
बॉण्ड-'डी' सीरिज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
27 सितम्बर, 1999 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 9% (कर मुक्त) पर 10 वर्षीय बॉण्ड्स		-		2,200
बॉण्ड-'ई' सीरिज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
09 फरवरी, 2000 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 9% (कर मुक्त) पर 10 वर्षीय बॉण्ड्स		-		1,500
बॉण्ड-'जी' सीरिज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
31 मार्च, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 9% (कर मुक्त) पर 10 वर्षीय बॉण्ड्स	70	70	70	70
बॉण्ड-'एच' सीरिज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
7 अगस्त, 1999 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 18% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	-		500	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (162 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	162		252	
(शोधन की सर्वप्रथम तारीख 14 मई, 2000 है)		162		752
बॉण्ड-'आई' सीरिज *1 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
4 जनवरी, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (8 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	8		8	
20 जनवरी, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 15.5% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (34 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	34		66	
24 मार्च, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 14% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (1909 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	1,909		1,909	
29 मार्च, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 10.5% (कर मुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (1000 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	1,000	2,951	1,000	2,983

ऋण निधियाँ

अनुसूची-3

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को		31 मार्च, 1999 को	
बॉण्ड-'जे' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
1 दिसम्बर, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 13% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	500		500	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 13.25% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 8 अक्टूबर, 2001 है)	1,550		1,550	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 9.25% (कर मुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 15 नवम्बर, 2001 है)	1,000		1,000	
21 जुलाई, 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 16.5% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स	250		250	
30 सितम्बर, 2000 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 16% (कर मुक्त) पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स (50 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	50		50	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 16.25% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 30 सितम्बर, 2000 है)	674	4,024	674	4,024
उपचित एवं देय ब्याज (जे-सीरिज)				1
बॉण्ड- 'के' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
30 मार्च, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 18% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स	250		250	
1 अगस्त, 2001 को सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17.5% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स	300		1,375	
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17.5% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 30 सितम्बर, 2001 है)	500	1,050	500	2,125
बॉण्ड- 'एल ' सीरिज *2 (प्राइवेट प्लेसमेंट)				
सममूल्य पर प्रतिदेय 1000/- रुपए प्रत्येक के 17% पर 5 वर्षीय बॉण्ड्स (शोधन की सर्वप्रथम तारीख 22 अक्टूबर, 1999 है)			564	
1000/- रुपए प्रत्येक के 16% पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय)	633		633	
1000/- रुपए प्रत्येक के 10.5% (कर मुक्त) पर 7 वर्षीय बॉण्ड्स (31 मार्च, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय)	510	1,143	510	1,707
उपचित एवं देय ब्याज (एल-सीरिज)		1		1

ऋण निधियाँ

अनुसूची-3

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को		31 मार्च, 1999 को	
II. अन्य आवधिक ऋण				
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया *1 (1000 मिलियन रुपये एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	1,500		2,500	
आई.सी.आई.सी.आई. लि. *2	4,000		1,000	
इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया *2 (2000 मिलियन रुपये एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	3,000		1,000	
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया - आवधिक ऋण *2	2,000		2,000	
कॉरपोरेशन बैंक *2	1,000		1,000	
इण्डियन ओवरसीज बैंक *2	500		500	
केनरा बैंक *2 (214 मिलियन रुपये एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	1,286		1,500	
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया *2 (100 मिलियन रुपये एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	500		-	
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *2	500		-	
बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2	1,000		-	
भारतीय जीवन बीमा निगम लि. *1	2,500		-	
ओरियण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स *2	1,000		-	
हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. *2 (14.46 मिलियन रुपये एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	66	18,852	79	9,579
बैंकों से कार्यकारी पूंजी मांग ऋण (अल्पकालीन) *3		1,615		2,555
बैंकों से नकद उधार (अल्पकालीन) *3		2,044		742
कुल आरक्षित ऋण		**31,912**		**28,239**

ऋण निधियाँ

अनुसूची-3

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को		31 मार्च, 1999 को	
अनारक्षित ऋण				
क) भारत सरकार से ऋण (448 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)		4,845		5,490
उपचित एवं देय ब्याज		2		456
ख) अन्यों से ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीयुक्त)				
1. एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कनाडा) (736 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	2,209		2,818	
2. वेस्ट मर्चेंट बैंक लि. (254 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	1,525		1,728	
3. ए.बी.एस.ई.के. (912 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	5,469		6,507	
4. नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक (221 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	2,428		2,172	
5. क्रेडिट कॉमर्शियल डी.ई. फ्रांस (265 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)	4,503		4,545	
6. एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (चमेरा- II)	649		-	
7. जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (पहले का नाम ओ.ई.सी.एफ.) ट्रैंच- II (धौलीगंगा)	772		-	
8. जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (पहले का नाम ओ.ई.सी.एफ.) ट्रैंच- I	1,005	18,560	604	18,374
ग) अन्य ऋण व पेशगियां : (कुरिचू परियोजना प्राधिकरण से) (517.80 मिलियन रुपए एक वर्ष के अंदर पुनर्अदायगी के लिए देय)		518		518
कुल अनारक्षित ऋण		**23,925**		**24,838**
कुल ऋण (आरक्षित ऋण +अनारक्षित ऋण)		**55,837**		**53,077**

नोट :

***1. चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण - 1) की परिसम्पत्तियों के बदले साम्यिक मॉर्टगेज़/बंधक रखकर आरक्षित।**

***2. उड़ी जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के बदले साम्यिक मॉर्टगेज़/बंधक के माध्यम से आरक्षित**

***3. देनदारों व ओ.एण्ड एम. सामग्रियों के बदले बंधक द्वारा आरक्षित**

स्थिर परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची-4

(मिलियन रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.99 को	बढ़ोत्तरियाँ/ समायोजन	कटौतियाँ/ समायोजन	31.3.2000 को	1.4.99 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.3.2000 को	31.3.2000 को	31.3.1999 को
फ्रीहोल्ड भूमि	615	404	106	913	-	-	-	-	913	615
लीज होल्ड भूमि	171	52	5	218	12	3	-	15	203	159
भवन	6,419	301	156	6,564	998	219	(28)	1,189	5,375	5,421
सड़कें व पुल	715	65	6	774	142	23	(6)	159	615	573
निर्माण संयंत्र व मशीनरी	412	110	82	440	285	23	(54)	254	186	127
उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	17,923	1,681	115	19,489	2,262	727	(55)	2,934	16,555	15,661
सब-स्टेशन उपस्कर	100	299	4	395	49	9	1	59	336	51
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, टनल आदि)	43,289	3,911	8	47,192	3,701	1,206	24	4,931	42,261	39,588
वाहन	144	82	26	200	81	19	(10)	90	110	63
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	146	229	96	279	55	21	14	90	189	91
ट्रांसमिशन लाइनें	173	18	-	191	65	15	5	85	106	108
विविध परिसंपत्तियाँ/उपस्कर	157	91	72	176	91	10	(38)	63	113	66
अतिरिक्त घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी	640	30	20	650	370	2	6	378	272	270
5000/- से कम कीमत वाली स्थिर परिसम्पत्तियाँ	-	43	(3)	46	-	8	35	43	3	-
योग	**70,904**	**7,316**	**693**	**77,527**	**8,111**	**2,285**	**(106)**	**10,290**	**67,237**	**62,793**
पिछले वर्ष	69,036	3,802	1,934	70,904	5,986	2,242	(117)	8,111	62,793	63,050

31 मार्च, 2000 को चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची-5

(मिलियन रुपए)

विवरण	01 अप्रैल, 1999 को	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2000 को
सर्वेक्षण, अन्वेषण तथा अन्य खर्च	122	106	(41)	-	187
भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	328	1,359	(36)	911	740
सड़कें और पुल	84	347	(60)	65	306
हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, टनल व पावर चैनल	6,476	2,608	29	1,828	7,285
पेनस्टॉक	204	-	-	-	204
जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी	6,138	181	(2)	521	5,796
विद्युत संस्थापनाएँ व सब-स्टेशन उपस्कर	8	14	-	2	20
विविध परिसंपत्तियाँ	9	5	(6)	4	4
ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें	3	-	-	-	3
निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च	12,388	3,009	10	2,266	13,141
योग	**25,760**	**7,629**	**(106)**	**5,597**	**27,686**
पिछले वर्ष	20,731	5,931	(316)	586	25,760

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची-5 का अनुबंध

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते व लाभ	698		632	
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	82		100	
स्टाफ कल्याण खर्च	95		162	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	2	877	4	898
मरम्मत व रख-रखाव				
भवन	26		26	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	48		33	
अन्य	47	121	40	99
प्रशासन व अन्य खर्च				
यात्रा व वाहन	45		39	
स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्च	37		31	
कार्यालय का किराया	3		2	
आवासीय स्थान का किराया	27		19	
दरें व कर	10		5	
बीमा	8		9	
बिजली प्रभारें	18		27	
टेलीफोन, टेलैक्स व डाक खर्च	15		12	
विज्ञापन व प्रचार	17		19	
विदेशी परामर्श प्रभारें	34		71	
विदेशी ठेकों पर आयकर	39		11	
डिजाइन व परामर्श प्रभारें	14		3	

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	
सत्कार		1			1	
छपाई व लेखन सामग्री		13			12	
भूमि, जो निगम की नहीं है, के लिए खर्च		112			52	
भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास		6			0	
अन्य खर्च		130			147	
लेखा परीक्षकों को भुगतान		1			1	
सामग्रियों/परिसंपत्तियों पर हानि, जो बट्टे खाते डाली गई		13	543		0	461
ब्याज व वित्त प्रभारें						
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज		82			85	
बॉण्ड्स पर ब्याज		542			799	
विदेशी ऋण पर ब्याज		450			446	
नकद उधार सुविधाओं/आवधिक ऋण पर ब्याज		181			98	
बॉण्ड जारी करने के लिए खर्च		1			-	
कमिटमेंट फीस		40			9	
विदेशी ऋण पर गारंटी फीस		62			50	
अन्य वित्त प्रभारें		347	1705		20	1,507
विनिमय दर अंतर-शुद्ध (अभिलाभ)			146			56
मूल्यह्रास			81			89
पूर्व अवधि खर्च (शुद्ध)						
क) आय		-			-	
घटाएँ :						
ख) खर्च						
i) मरम्मत व रख-रखाव		61			31	
ii) बीमा		-			(4)	
iii) अन्य		(95)			18	
iv) मूल्यह्रास		-			7	52
v) ब्याज		0	(34)		0	
कुल खर्च			**3439**			**3,162**
घटाएँ : प्राप्तियाँ व वसूलियाँ						
संयंत्र व मशीनों का किराया प्रभार/आउट टर्न		113			97	
निम्न पर ब्याज						
आवधिक जमा/बैंक खाते	-			3		
ऋण व पेशगियाँ	45	45		49	52	
विविध प्राप्तियाँ व वसूलियाँ		59			40	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		1			27	
ट्रायल रन्स के दौरान बिजली की बिक्री		15			0	
कुल प्राप्तियाँ व वसूलियाँ			**233**			**216**
शुद्ध खर्च			**3206**			**2,946**
घटाएँ :						
ओ.एण्ड एम. परियोजनाओं तथा डिपॉजिट/टर्नकी ठेकों को आबंटित निगम मुख्यालय के शेयर			197			150
सी.डब्ल्यू.आई.पी. को हस्तांतरित राशि			**3009**			**2,796**

क) निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण

(मिलियन रुपए)

		1999-2000	1998-99
(क)	i) वेतन व भत्ते	2.6	1.3
	ii) भविष्य निधि में अंशदान	0.3	0.1
	iii) रिहायशी आवास के लिए किराया	0.3	0.3
	iv) यात्रा खर्च	2.7	4.1
	v) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.2	0.1

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक सरकारी और निजी यात्राओं के लिए नीचे दिए अनुसार भुगतान के आधार पर कम्पनी कार के प्रयोग की अनुमति दी गई थी :

	गैर - ए.सी. कार	ए.सी. कार
16 एच.पी. तक	250/- रु. प्रतिमाह	400/- रु. प्रतिमाह
16 एच.पी. से अधिक	375/- रु. प्रतिमाह	600/- रु. प्रतिमाह

ख) सांविधिक लेखापरीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण

(मिलियन रुपए)

	1999-2000	1998-99
लेखापरीक्षा शुल्क	0.43	0.35
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.11	0.10
लेखा परीक्षा खर्च	0.51	0.40
अन्य मामले	0.05	0.04

निर्माण सामग्रियाँ व पेशगियाँ

अनुसूची-6

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को		31 मार्च, 1999 को	
निर्माण सामग्रियाँ				
(प्रबंधवर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)				
मार्गस्थ निर्माण सामग्री	9		4	
सामग्रियाँ	1696	1705	2507	2,511
पूंजीगत खर्च के लिए पेशगी				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	1015		247	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	2395	3410	470	717
		5115		3,228

निगम का कोई निदेशक, जिन कम्पनियों में सदस्य अथवा निदेशक है, उन कम्पनियों द्वारा देय पेशगी - शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व पेशगियाँ

अनुसूची-7

(मिलियन रुपए)

विवरण			31 मार्च, 2000 को				31 मार्च, 1999 को	
चालू परिसंपत्तियां								
माल सूचियाँ (प्रबंध वर्ग द्वारा मूल्यांकित व प्रमाणित लागत पर)								
सामग्री व पुर्जे			828				418	
लूज औजार			2	830			2	420
निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)				2142				567
विविध देनदार (अनारक्षित)								
छः मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण			18884				9216	
अन्य ऋण			4751				8302	
कुल देनदार			23635				17518	
घटाएं प्रावधान			826	22809			824	16,694

विविध देनदारों (अनारक्षित) का विवरण

	1999-2000	1998-99
कंसीडर्ड गुड	22809	16694
कंसीडर्ड संदेहजनक व व्यवस्थित	826	824

विवरण			31 मार्च, 2000 को				31 मार्च, 1999 को	
नकद व बैंक शेष								
नकद, अग्रदाय, चैक व ड्राफ्ट			278				221	
अनुसूचित बैंकों में शेष								
चालू खाता			406				353	
नकद उधार खाता			-				60	
जमा खाता (अल्प अवधि)			-				-	
गैर-अनुसूचित बैंकों में शेष								
(स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन में)								
चालू खाता			-				354	
(बैंक ऑफ भूटान में)								
चालू खाता			433	1117			34	1022
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ								
जमा राशि पर उपचित ब्याज			11				9	
अन्य			258	269			234	243
ऋण व पेशगियाँ								
नगद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियाँ								
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	105				159			
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)	691				628			
अनारक्षित (कंसीडर्ड संदेहजनक)	7	803			11	798		
घटाएं : संदेहजनक के लिए प्रावधान		7	796			11	787	
कर्मचारियों को ऋण (आरक्षित)			211				162	
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.			601	1608			891	1,840
				28775				**20,786**

क. वर्ष के दौरान गैर-अनुसूचित बैंकों में अधिकतम शेष का विवरण

(मिलियन रुपए)

	1999-2000	1998-99
स्कैनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन में		
चालू खाता	368	380
बैंक ऑफ भूटान		
चालू खाता	433	34
आवधिक जमा खाता	60	-
बचत खाता	-	-

ख. निदेशकों से प्राप्य ऋण व पेशगियों का विवरण

	1999-2000	1998-99
वर्ष के अंत में प्राप्य राशि	0.4	0.3
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	0.5	1.7

निगम का कोई निदेशक, जिन कंपनियों में सदस्य अथवा निदेशक हैं, उन कंपनियों द्वारा देय पेशगी - शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए)

निर्माण कार्य प्रगति पर (ठेके)

अनुसूची-7 का अनुबंध

(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रत्यक्ष कर (मजदूरी, सामग्री, परिसम्पत्तियाँ तथा ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं को किया गया भुगतान शामिल है)		1469		285
कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ				
वेतन, मजदूरी भत्ते व लाभ	38		31	
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान	2		2	
स्टाफ कल्याण खर्चे	3	43	3	36
मरम्मत व रख-रखाव				
भवन	1		-	
मशीनें व निर्माण उपस्कर	3		2	
अन्य	13	17	2	4
प्रशासनिक व अन्य खर्चे				
यात्रा व वाहन	5		4	
स्टाफ कारों तथा निरीक्षण वाहनों पर खर्च	4		3	
कार्यालय किराया	1		1	
बीमा	3		-	
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	2		2	
विज्ञापन व प्रचार	1		2	
छपाई व लेखन सामग्री	1		1	
बैंक प्रभारें	1		1	
निगम मुख्यालय प्रबंधन खर्च	75		17	
अन्य खर्च	8	101	3	34
मूल्यह्रास		5		4
कुल खर्च		**1635**		**363**
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियाँ (विविध)		60		30
वर्ष के दौरान शुद्ध खर्च		1575		333
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष		567		237
वर्ष के दौरान समायोजन		0		(3)
अनुसूची-7 में ले जाया गया कुल खर्च		**2142**		**567**

चालू देयताएं व प्रावधान

अनुसूची-8

(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2000 को			31 मार्च, 1999 को
देयताएं					
विविध लेनदार					
लघु औद्योगिक उपक्रम(उपक्रमों) की कुल बकाया देय राशि **(30 से अधिक दिनों के लिए बकाया 2 मिलियन रुपए इसमें शामिल हैं)**	3			-		
लघु औद्योगिक उपक्रम(उपक्रमों) के अलावा लेनदारों की कुल बकाया देय राशि	1039	1042		596	596	
डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		26			32	
डिपॉजिट/प्रतिधारण राशि		153			98	
अन्य देयताएं		1223			1264	
ऋण पर उपचित ब्याज, परन्तु देय नहीं		1124			1340	
जारी किए गए चैकों के लिए देयता		1			-	
निर्माण ठेकों के लिए पेशगियां		2570	6139		1138	4,468
प्रावधान						
प्रस्तावित लाभांश		150			150	
कराधान (लाभांश पर) के लिए प्रावधान		33			15	
स्टाफ के हितलाभ के लिए प्रावधान		1444	1627		1435	1,600
			7766			**6,068**

विविध खर्च

अनुसूची-9

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए की सीमा तक)

(मिलियन रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2000 को		31 मार्च, 1999 को
आस्थगित राजस्व खर्च		19		4
निगम की स्वामित्व रहित परिसम्पत्तियों पर खर्च		-		-
बट्टे खाते डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियाँ	28		47	
घटाएं : के लिए प्रावधान	28	-	47	-
		19		4

अन्य आय

अनुसूची-10

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	11	8
वापस ली गई देयताएं, जो अपेक्षित नहीं थीं	6	275
अन्य विविध प्राप्तियाँ	51	55
बेकार माल से आय	-	1
ऋणों व पेशगियों पर ब्याज	8	5
अधिभार	1938	-
	2014	**344**

उत्पादन, प्रशासनिक व अन्य खर्च

अनुसूची-11

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए	
उत्पादन खर्च				
सामग्री व पुर्जों की खपत	60		133	
मरम्मत व रख-रखाव				
भवन	23		18	
मशीनें	195		46	
अन्य	67		132	
अन्य संचालनात्मक खर्च	23		34	
आस्थगित राजस्व खर्च के लिए बट्टे खाते डाली गई रकम राजस्व खर्च	3	371	2	365
प्रशासनिक व अन्य खर्च				
किराया	2		1	
दरें व कर	2		1	
बीमा	364		351	
बिजली प्रभारें	10		5	
यात्रा व वाहन	14		17	
स्टाफ कारों पर खर्च	19		25	
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	7		7	
विज्ञापन व प्रचार	4		6	
छपाई व लेखन सामग्री	4		4	
परामर्श प्रभारें	-		-	
अनुदान (नेशनल डिफेंस फण्ड को की गई 20 मिलियन रुपए की अदायगी शामिल है)	27		-	
निगम मुख्यालय के प्रबंधन पर खर्च	122		134	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	1		2	
अन्य विविध खर्च	207	783	159	712
विनिमय दर अंतर		13		42
		1167		**1,119**

कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ

अनुसूची-12

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी व भत्ते	730	1,016
ग्रेच्युटी व भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	76	145
स्टाफ कल्याण खर्च	133	264
	939	**1,425**

ब्याज व वित्त प्रभारें

अनुसूची-13

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज	754	892
बॉण्डों पर ब्याज	1411	1,981
विदेशी ऋणों पर ब्याज	690	801
नकद उधार सुविधाओं/आवधिक ऋण पर ब्याज	1384	833
ग्राहकों को छूट	107	101
कमिटमेंट फीस	1	2
विदेशी ऋण पर गारंटी फीस	148	157
अन्य वित्त प्रभारें	2	20
	4497	**4,787**

अन्य ठेका खर्च

अनुसूची-14

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए
उप ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान	-	-
प्रत्यक्ष खर्च (श्रम व सामग्री शामिल है)	-	18
अन्य खर्च	2	-
	2	**18**

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

अनुसूची-15

(मिलियन रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
बिजली की बिक्री	(1)	67
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-	422
अन्य	94	11
उप जोड़	93	500
खर्च		
वेतन व मजदूरी	1	-
मरम्मत व रख-रखाव	11	1
ब्याज	12	48
अन्य	7	6
उप जोड़	31	55
मूल्यह्रास	30	(2)
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	**32**	**447**

लेखों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची-16

1. **आकस्मिक देयताएं**

   क) निगम के विरूद्ध दावे की राशि **8782 मिलियन रुपए** (पिछले वर्ष **12613 मिलियन रुपए**) बनती है, जिसे ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है।

   ख) निगम द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को **428 मिलियन रुपए** (पिछले वर्ष **428 मिलियन रुपए**) की कीमत के बॉण्ड निष्पादित किए गए। इसमें 11 बॉण्डस, जिनके लिए शुल्क हटाने की मांग की गई है और देयता, यदि कोई हो, उसकी वसूली ठेकेदार से की जाएगी, के संबंध में कस्टम ड्यूटी के लिए आकस्मिक देयता शामिल है।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले ठेके संबंधी शेष खर्चों की अनुमानित राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो **26703 मिलियन रुपए** बनती है (पिछले वर्ष **6266 मिलियन रुपए**)।

3. क) विद्युत मंत्रालय तथा एनसीईएस के दिनांक 9.2.89 तथा 12.7.91 के पत्र संख्या 4/1/78-डीओ (एन.एच.पी.सी.) के अनुसार सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-I) नवम्बर, 1987 में निगम को हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक इस परियोजना के लेखे निगम के लेखों में निगमित किए गए हैं। इसके लिए उन्हीं नियमों व शर्तों को ध्यान में रखा गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था। तद्नुसार, **3316 मिलियन रुपए** (जिसमें **2976 मिलियन रुपए** अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50% के तथा **340 मिलियन रुपए** आईडीसी के 50% के हैं) की राशि को सरकार द्वारा निवेश के तौर पर माना गया है और इसकी गणना इक्विटी में समंजन योग्य भारत सरकार की निधि के तौर पर की गई है।

   ख) निर्माण के दौरान भारत सरकार से **942 मिलियन रुपए** (पिछले वर्ष **869 मिलियन रुपए**) की मंजूरी लंबित होने के कारण इस राशि के ब्याज के प्रथम 50% हिस्से को चमेरा-I, टनकपुर, उड़ी तथा रंगित परियोजनाओं के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर पूंजीकृत किया गया , जिसे इक्विटी के तौर पर समायोजित दर्शाया गया है और शेष 50% को इस संबंध में उस समय प्रचलित वित्तीय पद्धति के अनुसार भारत सरकार के ऋण के तौर पर दर्शाया गया है।

4. **भूमि**

   क) कुछ मामलों में भूमि के संदर्भ में टाइटिल डीड/टाइटिल को अभी निष्पादित/पास किया जाना है। इसके पंजीकरण के संबंध में स्टैम्प ड्यूटी आदि पर जब और जैसे ही खर्च होगा, उसकी गणना लेखों में की जाएगी।

   ख) धौलीगंगा परियोजना के मामले में खरीदी गई 25.57 हेक्टेयर भूमि में से 5.8 हेक्टेयर भूमि का कब्जा अभी सौंपा जाना है।

   ग) जम्मू व कश्मीर की कुछ परियोजनाओं में लीज़ डीड का निष्पादन लंबित होने के कारण लीज़ की अवधि 99 वर्ष रखी गई है।

5. **बिक्री**

   क) क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों/प्राधिकरणों द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होने के कारण अनुमानित उत्पादन, इंसेंटिव/डिसइंसेंटिव के लिए दरों के समायोजन संबंधी बिल एकत्र नहीं किए गए हैं/लेखों में नहीं लिए गए हैं।

   ख) सीईआरसी से ऑर्डर की प्राप्ति लंबित होने के कारण, टैरिफ दर निर्धारण सिद्धांतों की शर्तों के अनुसार, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लेखों में ली गई बिक्री में 488.46 मिलियन रुपए शामिल हैं।

   ग) बिक्री में नेपाल को की गई विद्युत आपूर्ति के लिए 8.73 मिलियन रुपए शामिल हैं, जिनके बिल अभी एकत्र किए जाने हैं।

   घ) रंगित परियोजना में, जो कि 15 फरवरी, 2000 को संचालित हो गई थी, सीईआरसी द्वारा अनुमति दी गई अस्थायी दरों के आधार पर बिक्री दर्ज की गई है।

6. ठेकेदारों को दी गई सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष सामग्री, वसूली योग्य दावे (पीजीसीआईएल सहित) पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगियाँ, विविध देनदार, ठेकेदारों को पेशगियां (विविध लेनदार सहायता नियंत्रक, लेखा व लेखा परीक्षा, वित्त मंत्रालय को देय सहित), ठेकेदारों से डिपॉजिट/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टि व संबंधित परिणामिक समायोजन की शर्त के अधीन हैं। तद्नुसार ठेकेदारों के दावों का निपटान लंबित होने के कारण 29.62 मिलियन रुपए, 21.55 मिलियन रुपए, 10.70 मिलियन रुपए, 4.44 मिलियन रुपए तथा 0.69 मिलियन रुपए की राशि क्रमश: ठेकेदारों को दी गई सामग्री, ठेकेदारों को पेशगियां, वसूली योग्य भाड़ा प्रभार, ठेकेदारों से वसूली योग्य पेशगियां और दावों पर उपचित ब्याज में शामिल है।

7. बैरास्यूल परियोजना के पावर हाउस के नवीनीकरण व आधुनिकीकरण पर खर्च की गई 162.64 मिलियन रुपए की राशि (87.60 मिलियन रुपए की राशि सहित, जिसे पिछले वर्ष लाभ व हानि लेखे में चार्ज किया गया था और इस वर्ष पूर्ण अवधि समंजन के माध्यम से समायोजित किया गया है) को यह मानकर पूंजीकृत किया गया है कि उक्त राशि बड़े अतिरिक्त उपस्कर/आवश्यकता होने पर उपलब्ध उपस्करों की खरीद के परिणाम स्वरूप खर्च हुई है।

8. उड़ी परियोजना में अनुमानित निर्यात लाभ, यदि कोई हो, ठेकेदारों ने प्राप्त किए हैं/ उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं और जिनका निगम को भुगतान किया जाना है। उनका संबंधित प्राधिकारियों के साथ अभी तक पूरी तरह निपटान नहीं हुआ है और कुछ औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण वे अभी तक लंबित हैं। वास्तविक तौर पर इनकी प्राप्ति होने पर इनकी गणना लेखों में की जाएगी।

9. सावलकोट और बगलिहार परियोजनाएं, जिनकी परिसम्पत्तियां जम्मू व कश्मीर सरकार को हस्तांतरित करने पर सहमति हो चुकी है, के बारे में हस्तांतरण विचाराधीन होने पर प्राप्ति की पूरी राशि लंबित है। इन्हें निगम की परिसम्पत्तियों के तौर पर माना जा रहा है। **54 मिलियन रुपए** की तदर्थ पेशगी राशि को चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है। एन.एच.पी.सी. को इस लेन देन से किसी प्रकार की हानि होने की आशंका नहीं है।

10. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 पर माननीय उच्च न्यायालय, जम्मू व कश्मीर द्वारा रोक लगा दी गई है, अतिरिक्त देयताएँ, यदि कोई हों, जब कभी उसका समाधान होगा, उसकी गणना लेखों में की जाएगी।

11. एन.एच.पी.सी. ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट से प्राप्त/वसूली योग्य 81.8 मिलियन रुपए की राशि का समायोजन करने के बाद बीमांकक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी के लिए व्यवस्था की गई है।

12. वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय में उतार चढ़ाव का प्रभाव नीचे दिये अनुसार है :

	(मिलियन रुपए) 1999-2000
(i) मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ व हानि के लेखे में चार्ज की गई राशि	13
(ii) मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ व हानि लेखे में वर्ष के लिए जमा शुद्ध राशि	10
(iii) निर्माण के दौरान आकस्मिक खर्च के लिए चार्ज की गई राशि	146
(iv) पूंजीगत कार्य प्रगति पर के लिए चार्ज की गई राशि	(-) 377
(v) स्थिर परिसम्पत्तियों की आगे लाई गई राशि में जमा द्वारा समायोजित राशि	16

13. संबंधित प्राधिकारियों से पूर्णता प्रमाण पत्र तथा डिमांड नोटिस प्राप्त न होने के कारण फरीदाबाद, कार्यालय परिसर के लिए सम्पत्ति कर की व्यवस्था नहीं की गई है।

14. कामगारों के लिए वेतन संशोधन 1.1.97 से देय है। इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

15. कर योग्य आय/कर योग्य सम्पत्ति न होने के कारण आयकर/सम्पत्ति कर के लिए कोई व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

16. यद्यपि कंपनी का विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए गारंटी फीस हटाने के संबंध में निगम का आवेदन अभी लंबित है, फिर भी पर्याप्त सावधानी बरतते हुए 1.2% वार्षिक की दर से 757 मिलियन रुपए की व्यवस्था की गई है और 1.2% की दर से 757 मिलियन रुपए की अतिरिक्त गारंटी फीस आकस्मिक देयता के तौर पर रखी गई है।

17. मात्रात्मक विवरण

	1999-2000	1998-99
i) लाइसेंस क्षमता (मेगावाट)	- लागू नहीं -	- लागू नहीं -
ii) संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2149.20	2089.20
iii) वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	8690.73 @	9917.26
iv) वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिट)	7572.46 #	8694.09

@ ट्रायल रन के दौरान 3.8 मिलियन यूनिट सहित

\# ट्रायल रन के दौरान 3.35 मिलियन यूनिट सहित

		(मिलियन रुपए)
18. क) सीआईएफ आधार पर आयातित प्लांट व मशीनरी तथा अतिरिक्त पुर्जों की कीमत	50	शून्य
ख) विदेशी मुद्रा में खर्च		
i) जानकारियाँ	42	20
ii) ब्याज	1121	1247
iii) अन्य विविध मामले	892	590
ग) संचालित यूनिटों के उपयोग में लाए गए अतिरिक्त पुर्जों व हिस्सों की कीमत		
i) आयातित	44	3
ii) स्वदेशी	85	130
घ) विदेशी मुद्रा में आय		
ब्याज	3	10
अन्य	10	14

19. यथा आवश्यक पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: वर्गीकृत/पुन: व्यवस्थित कर दिया गया है।

विजय गुप्ता	**आर. नटराजन**	**योगेन्द्र प्रसाद**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

तुलन पत्र का सार एवं निगम के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या: 3 2 5 6 4

राज्य कोड: 0 5

तुलन पत्र दिनांक: 3 1 | 0 3 | 2 0 0 0

II वर्ष के दौरान संचित पूंजी (**मिलियन रुपए**)

पब्लिक इश्यू: शून्य

राइट इश्यू: शून्य

बॉण्ड इश्यू: शून्य

प्राइवेट प्लेसमेंट *: 6 1 3 9

* भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी डिपॉजिट

III निधियों के प्रसार तथा नियोजन की स्थिति (**मिलियन रुपए**)

कुल देयताएं: 1 2 8 8 3 2

कुल परिसम्पत्तियां: 1 2 8 8 3 2

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी #: 4 4 4 6 2

आरक्षित तथा अधिशेष: 1 7 0 8 9

आरक्षित ऋण: 3 1 9 1 2

अनारक्षित ऋण: 2 3 9 2 5

232 मिलियन रुपए की जमा हिस्सा पूंजी तथा 4258 मिलियन रुपए की इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि भी शामिल है

निधियों का उपयोग

शुद्ध स्थिर परिसम्पत्तियां: 1 0 0 0 3 8 @

निवेश: शून्य

शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां: 2 1 1 9 2

विविध खर्च: 1 9

संचित हानियां: शून्य

@ चालू पूंजीगत कार्य के 27686 मिलियन रुपए और निर्माण स्टोर तथा पेशगियों के 5115 मिलियन रुपए शामिल हैं

IV निगम का कार्य-निष्पादन (मिलियन रुपए)

टर्न ओवर	कुल खर्च
10769 **	8771

कर पूर्व लाभ	कर पश्चात लाभ
4012	4012

प्रति शेयर अर्जन (रुपए)	लाभांश राशि
100.38	150

** अन्य आय के 2014 मिलियन रुपए छोड़कर

V निगम के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के नाम

i) उत्पाद विवरण

विद्युत उत्पादन

मद कोड सं.

\-

ii) उत्पाद विवरण

निर्माण ठेके

मद कोड सं.

\-

iii) उत्पाद विवरण

परामर्शी सेवाएं

मद कोड सं.

\-

विजय गुप्ता	**आर. नटराजन**	**योगेन्द्र प्रसाद**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

कैश फ्लो स्टेटमेंट

(स्टॉक एक्सचेंजों की करार सूची के खण्ड-32 के संदर्भ में प्रस्तुत)

(मिलियन रुपए)

	31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए		
क. संचालित गतिविधियों से कैश फ्लो						
कर-पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें			4012			3053
जोड़ें :						
मूल्यह्रास		2199			2151	
अदा किया गया ब्याज		4497			4786	
आरक्षित बीमा		358			347	
आस्थगित राजस्व खर्च		3			2	
परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि		1			2	
विनिमय दर अन्तर		13			42	
मूल्यह्रास के लिए पेशगी		1406			1150	
		8477			8480	
घटाएं : परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ		11	8466		0	8480
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन से पूर्व संचालित लाभ						
कार्यकारी पूंजी परिवर्तन						
माल सूचियाँ		(62)			(24)	
विविध देनदार		(6116)			(3712)	
चालू निर्माण कार्य (ठेके)		(1570)			(327)	
ऋण व पेशगियाँ		232			498	
अन्य चालू परिसम्पत्तिय़ाँ		(26)			37	
चालू देयताएं व व्यवस्थाएं		1698	(5844)		1249	(2279)
संचालन से प्राप्त नकद (क)			6634			9254
ख. निवेश संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो						
स्थिर परिसम्पत्तियाँ	6622			1870		
जोड़ें : मूल्यह्रास में समायोजन	106			118		
परिसम्पत्तियों की बिक्री से हानि	1			2		
	6729			1990		
घटाएं : परिसम्पत्तियों की बिक्री से लाभ	11	6718		0	1990	
चालू पूंजीगत कार्य	1927			5027		
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए समायोजन	81	1846		87	4940	
निर्माण सामग्रियाँ एवं पेशगियाँ		2234			(91)	
निवेश संबंधी गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध नकद (ख)			(10798)			(6839)

ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो						
हिस्सा पूंजी जारी करने से प्राप्ति		5908			3649	
हिस्सा पूंजी जमा से प्राप्ति		232			689	
इक्विटी में समायोजन योग्य भारत सरकार की निधि		73			(18)	
उधार/ऋणों से प्राप्ति	2759			(1844)		
घटाएं : विनिमय दर अंतर के लिए समायोजन	13	2746		42	(1886)	
अदा किया गया ब्याज		(4497)			(4786)	
वित्त संबंधी गतिविधियों से कैश फ्लो (ग)			4462			(2352)
घ. विविध खर्च (बट्टे खाते न डाले गए की सीमा तक)		15			(13)	
जोड़े : आस्थगित राजस्व खर्च के समायोजन के लिए		3			1	
(घ)			(18)			12
च. लाभांश/लाभांश कर (च)			(185)			(165)
नकद/नकद के समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग+घ+च)			**95**			**-90**
नकद तथा नकद के समतुल्य (अथ शेष)			1022			1112
नकद तथा नकद के समतुल्य (अंत शेष)			1117			1022

टिप्पणी : नकद तथा नकद के समतुल्य का अर्थ नकदी तथा बैंकों में जमा शेष से है

विजय गुप्ता
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

योगेन्द्र प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जैन चोपड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

अशोक चोपड़ा
भागीदार

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2000

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के सदस्यों की सेवा में :

नैशनल हाइड्रोलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. के 31 मार्च, 2000 के संलग्न तुलन-पत्र व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, जिसमें कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा नियुक्त अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के खाते शामिल हैं, की लेखा परीक्षा कर ली गई है।

1. निर्माता व अन्य कंपनियाँ (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट), आदेश सं. 1988 की अपेक्षा अनुसार कथित आदेश के पैरा 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों संबंधी विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

2. उपर्युक्त अनुबंध के पैरा (1) के संदर्भ में टिप्पणियों के अतिरिक्त:

   क) हमने वे सभी सूचना व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।

   ख) जैसाकि बहियों की जांच से पता चलता है, कि हमारे विचार से निगम ने कानूनी तौर पर अपेक्षित समुचित लेखा बहियाँ रखी हैं।

   ग) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   घ) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित ब्रांचों के लेखों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई हैं और हमने अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें ध्यान में रखा है।

   च) हमारे विचार से निम्नलिखित को छोड़कर, लाभ व हानि लेखा तथा तुलन-पत्र कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में दिए गए लेखा मानकों के अनुकूल हैं।

3. हमारी रिपोर्ट है कि :

   I. बिक्री में चमेरा-I तथा उड़ी परियोजनाओं के लिए निगम द्वारा अपने लाभभोक्ताओं से विनिमय दर अंतर (ई.आर.वी.) के दावा 488.4 मिलियन रुपए शामिल हैं। उपर्युक्त राशि में से 358.6 मिलियन रुपए की राशि 1999-2000 के दौरान चमेरा-I तथा उड़ी परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण के संबंध में अदा की गई किश्तों के लिए दावाकी गई विनिमय दर अंतर के संबंध में है। विदेशी ऋण में विनिमय दर अंतर के लिए देयता में वृद्धि के प्रत्येक वर्ष के अंत में स्थिर परिसंपत्तियों की कैरिंग कॉस्ट में जोड़ी गई है। हमारे विचार से ऐसे विदेशी ऋणों के लिए विनिमय दर अंतर की प्रतिपूर्ति की राशि स्थिर परिसंपत्तियों की कैरिंग कॉस्ट से कम होनी चाहिए। फिर भी, निगम का कहना है कि किश्तों पर ऐसे विनिमय दर अंतर का दावा उसकी बिक्री प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इस संबंध में मूल्यह्रास में हुए परिवर्तनों से संबंधित पूरी सूचना के अभाव में निगम की परिसंपत्तियों और लाभ का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

   II. बैरास्यूल, सलाल व लोकतक में निर्माण के दौरान सकल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास व परियोजनाओं के संचित मूल्यह्रास के लिए चार्ज किए जा रहे क्रमश: 51.6 मिलियन रुपए, 156.6 मिलियन रुपए व 52.8 मिलियन रुपए के असमायोजन का प्रभाव टैरिफ निर्धारण, जो कि बैरास्यूल, लोकतक व सलाल के लिए 1992 तक के लिए अभी अधिसूचित किया जाना है और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1999-2000 तक के लिए बिक्री व लाभ का निर्धारण नहीं किया गया है। अत: 31 मार्च, 2000 तक के लेखे में कोई समायोजन नहीं किया जा सका है।

   III. चमेरा-I के मामले में नष्ट परिसंपत्तियों की विनिमय दर के अंतर के लिए 0.71 मिलियन रुपए की राशि स्थिर परिसंपत्तियों की कैरिंग कॉस्ट में जोड़ी गई है, जिसे हमारे विचार से लाभ व हानि लेखे में चार्ज किया जाना चाहिए। इस संबंध में मूल्यह्रास में हुए परिवर्तनो से संबंधित पूरी सूचना के अभाव में निगम की परिसंपत्तियों और लाभ पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है।

   IV. लोकतक परियोजना के लिए 6.96 मिलियन रुपए की राशि काफी लंबे समय से मणिपुर पर बाकी है और उसकी वसूली का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अत: इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

   V. पूरे ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण और संदेहास्पद ऋण की व्यवस्था के आधार पर तथा लाभभोक्ताओं के साथ संबद्ध लेखों का समाधान करने के लिए विचाराधीन मतभेदों को देखते हुए निगम के पास रखे 758 मिलियन रुपए के संदेहास्पद ऋणों के लिए हम ऐसी व्यवस्था की पर्याप्तता पर या अन्यथा कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

निम्नलिखित के संबंध में प्रयुक्त धनराशि को ध्यान में रखते हुए कार्यों की स्थिति/लाभ की संभावना पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा व्यक्त करने में हम असमर्थ हैं :

VI. क) टिप्पणी सं. (4), अनुसूची-16

विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन की खरीद व निगम के पक्ष में टाइटिल डीड के निष्पादन के लिए अंतिम निपटान के संबंध में।

ख) टिप्पणी सं. (5), अनुसूची-16

विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के लिए बिक्री की अस्थायी बुकिंग, नेपाल को विद्युत की आपूर्ति तथा रंगित परियोजना में बिजली की बिक्री के संबंध में।

ग) टिप्पणी सं. (6), अनुसूची-16

ठेकेदारों को दी गई सामग्री में से शेष बची सामग्री ठेकेदारों, विविध देनदारों को दी गई पेशगियों, जिनमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से व उन पर देयताएं शामिल हैं, ट्रांजिट/निरीक्षण के अधीन सामग्री, ठेकेदारों से प्राप्त जमा/पेशगी राशि, वसूली योग्य दावे, जिसमें पीजीसीआईएल पर देयताएं भी शामिल हैं, पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगी सहायता, लेखा परीक्षक के लेखों व कुछ कार्यालयों में बैंकों में शेष राशि सहित लेखों पर लेखा परीक्षा का पुनः समाधान/पुष्टि न होने के संबंध में।

घ) टिप्पणी सं. (16), अनुसूची-16

गारंटी फीस के लिए 757 मिलियन रुपए की व्यवस्था तथा भुगतान न होने पर 1.20% की दर से 757 मिलियन रुपए की अतिरिक्त गारंटी फीस के लिए व्यवस्था न होने के संबंध में। यद्यपि इसे आकस्मिक देयताओं में शामिल किया गया है।

हमारी यह रिपोर्ट है कि उपर्युक्त पैराग्राफ I से III और V में उल्लिखित मदों पर विचार किए बिना, जिनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका है, उपर्युक्त पैराग्राफ-V में हमने यह देखा है और हमारा विचार है कि वर्ष के लिए लाभ 4005.04 मिलियन रुपए होगा (4012 रुपए मिलियन की दी गई सूचना की तुलना में), आरक्षित तथा अधिशेष के लिए 17082.04 मिलियन रुपए होगा (17089 मिलियन रुपए के लिए दी गई सूचना की तुलना में); और

पैरा -3 (I) (II) (III) व (V) में हमारी टिप्पणी के अन्तर्गत व उसमें संदर्भित मामलों के संबंध में उत्पन्न समायोजनों व इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा नीतियों के साथ पठित उक्त लेखे व उनका भाग बनने वाली टिप्पणियां कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करती हैं और एक स्पष्ट व सही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं।

(i) 31 मार्च, 2000 को तुलनपत्र, कंपनी के कार्यों की स्थिति के मामले में; और

(ii) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ व हानि लेखा, लाभ के मामले में।.

कृते जैन चोपड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अशोक चोपड़ा)
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2000

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के पैरा-1 के संबंध में :

1. निगम ने स्थिर परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का ब्यौरा दर्शाने वाला मात्रात्मक विवरण सहित रिकार्ड रखा है। केवल कुछ मामलों में स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में स्थिर परिसंपत्तियों की स्थिति नहीं दिखाई गई है। प्रबंध वर्ग ने कुछ परियोजनाओं की परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है। कुछ परियोजनाओं में रिपोर्ट समाधान के अधीन है, जिसके कारण ऐसे मामलों की कमियों के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वर्ष के दौरान कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई, जहां सत्यापन व समाधान पूरा कर लिया गया है।

2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसंपत्ति का पुन: मूल्यन नहीं किया गया है।

3. प्रबंध वर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में मालसूची की चिरस्थायी पद्धति का अनुसरण करते हुए भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंध वर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति निगम के आकार और इसके व्यवसाय की किस्म के अनुरूप संतोषजनक है। केवल कुछ ही मामलों में दूसरी पार्टियों के पास पड़ी हुई सामग्री की पुष्टि सत्यापित की गई है।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधवर्ग द्वारा स्टॉक, पुर्जों आदि का वास्तविक सत्यापन करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है, निगम के आकार एवं व्यवसाय की किस्म के अनुसार उसे और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

5. वास्तविक भण्डार और रिकार्ड बुक के वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों को लेखा खातों में समायोजित कर दिया गया है, केवल कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, जहां कमियां, समाधान और अन्वेषण के अधीन हैं। कुछ मामलों में ठेकेदारों के पास स्टोर समाधान/पुष्टि की शर्त के अधीन हैं।

6. स्टॉक रिकार्ड की जांच करने के बाद, हमारी राय में स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष की भाँति सामान्यत: स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है, जो सही व उचित है। केवल ओ. एण्ड एम. परियोजना स्थलों पर रखे गए स्टॉक का इंजीनियरिंग अनुमान के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

7. हमें दी गई जानकारी के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्ट्रर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से और कंपनी अधिनियम ,1956 की धारा 370 की उपधारा (1बी) के अन्तर्गत समान प्रबंधवर्ग की कंपनियों से किसी भी प्रकार का आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं लिया है।

8. हमें दी गई जानकारी के अनुसार निगम ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनी, फर्म या अन्य पार्टी से और कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 370 की उपधारा (1बी) के अन्तर्गत परिभाषित समान प्रबंधवर्ग की कंपनियों को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है।

9. जिन पार्टियों और कर्मचारियों को ऋण के रूप में ऋण और पेशगी दी गई है, वे सामान्यत: नियमित रूप से मूल राशि और ब्याज जहां कहीं लागू है ''संदेहजनक पेशगी संबंधी मामलों को छोड़कर'', का भुगतान कर रहे हैं। कुछ मामलों में पेशगियां और ब्याज, जहां कहीं लागू हैं, दीर्घ समय से बकाया हैं'' और कुछ मामले मध्यस्थता/कोर्ट में लंबित पड़े हैं। जिन शर्तों पर ऐसे ऋण/पेशगियां दी गई थीं, उनसे निगम के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

10. हमारी राय में, हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों की खरीद व सामान की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कंपनी के आकार और कार्यों के अनुरूप है। फिर भी, हमारे विचार से कुछ क्षेत्रों में जैसे स्टोरों की खरीद, बैंकों में डेबिट और क्रेडिट के असमाधान के पुराने समायोजन, सामग्री, ठेकेदारों को दिये गए उपस्कर, देनदारों और ठेकेदारों को दी गई पेशगी, अनुवर्ती कार्रवाई, पुराने संयंत्र और मशीनरी तथा धीमी गति वाले भंडारों का निपटान करने आदि जैसे क्षेत्रों को सुदृढ़ करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

11. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज अनुबंधों और व्यवस्थाओं के अनुसरण में बनाई गई प्रत्येक पार्टी के लिए वर्ष के दौरान 50,000 रुपए या इससे अधिक के लिए किसी प्रकार के सामान व सामग्री की खरीदारी व बिक्री तथा सेवाओं का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

12. जैसाकि बताया गया है, अधिकतर परियोजनाओं में बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे माल को निर्धारित करने के लिए निगम के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। फिर भी, हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन मदों को निर्धारित करते समय की जाती है।

13. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के प्रावधानों व उसके अधीन लागू होने वाले नियमों के अन्तर्गत निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम में बेकार सामग्री की बिक्री और निपटान के लिए उचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं। निगम का कोई अन्य उत्पादन नहीं है।

15. हमारे विचार से निगम की आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था निगम के आकार व व्यवसाय के अनुरूप है। विशेषकर गुणवत्ता और आवर्तन पहलुओं और कार्यक्षेत्र कवरेज की लगातार समीक्षा की जा रही है। कुछ परियोजनाओं/यूनिटों में आंतरिक लेखापरीक्षा पूरी नहीं की गई है।

16. हमें सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (i) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रख-रखाव केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

17. निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार भविष्य निधि की बकाया राशि की देयताएं सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारियों के पास समय पर जमा कर दी जाती हैं। हमें बताए अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 निगम पर लागू नहीं होता।

18. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2000 को आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में देय तारीख से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसी कोई अविवादास्पद राशि देय नहीं थी।

19. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा बहियों की जांच सामान्यत: स्वीकार्य लेखा परीक्षा सिद्धांतों के अनुसार की गई है। ऐसे कोई व्यक्तिगत खर्चे, जो संविदा दायित्वों या सामान्य व्यवसाय पद्धति के अन्तर्गत आते हैं, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।

20. घाटा औद्योगिक कंपनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985 की धारा 3(1) (ओ) के प्रावधान के अन्तर्गत निगम घाटा औद्योगिक निगम नहीं है।

21. सर्विस कार्यों के संबंध में :

i. निगम में भण्डारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गतों और सामग्रियों की खपत व स्टोरों तथा संबद्ध कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली सामग्री के आबंटन के लिए युक्तिसंगत व्यवस्था अपनाई गई है।

ii. निगम में संबंधित गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले आबंटन के लिए युक्तिसंगत व्यवस्था की गई है।

iii. कंपनी में भंडार जारी करने तथा भंडार और श्रमिकों के आबंटन के लिए उचित स्तर पर अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण वाली एक समुचित पद्धति निगम के आकार और व्यवसाय के अनुरूप मौजूद है।

कृते जैन चोपड़ा एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(अशोक चोपड़ा)
भागीदार

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 जुलाई, 2000

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उत्तर

अनुबंध - I

I. बिक्री में विनिमय दर अंतर (ईआरवी) के कारण **488.4 मिलियन रुपए** की धनराशि शामिल है, जिसका दावा **चमेरा-I तथा उड़ी** परियोजनाओं द्वारा इसके लाभभोगियों से किया गया है। उक्त राशि में से **358.6 मिलियन रुपए** की राशि विनिमय दर अंतर के कारण है, जिसका दावा किश्तों में किया गया है और वर्ष 1999-2000 के दौरान इन किश्तों का भुगतान विदेशी ऋण के लिए किया गया, जो क्रमश: **चमेरा-I तथा उड़ी** परियोजनाओं से संबंधित है। विदेशी ऋण पर विनिमय दर अंतर के कारण देयता में वृद्धि को प्रत्येक वर्ष के अंत में स्थायी परिसंपत्ति की कैरिंग लागत से जोड़ दिया गया है। हमारी राय में, ऐसे विदेशी ऋण पर विनिमय दर अंतर (ई.आर.वी.) के लिए प्रतिपूर्ति की राशि स्थायी परिसंपत्ति की कैरिंग लागत से घटा दी जानी चाहिए थी। तथापि निगम दावा करता है कि किश्तों पर ऐसे विनिमय दर अंतर का दावा इसकी बिक्री आय का भाग है। इस संबंध में मूल्यह्रास परिवर्तन संबंधी पूरी सूचना के अभाव में निगम की परिसंपत्ति व लाभ पर इस प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका।

विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अधीन अधिसूचित टैरिफ सिद्धांतों तथा भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा वॉल्यूम XI की आपत्ति संख्या 1.11 में व्यक्त विचार के अनुसार परियोजना के लिए टैरिफ के भाग के रूप में ई.आर.वी. की राशि का दावा किया गया है। प्रबंधवर्ग के विचार से प्रक्रिया सही है और इसका निरंतर अनुसरण किया जा रहा है।

II. **बैरा स्यूल, सलाल व लोकतक** में क्रमश: **51.6 मिलियन रुपए, 156.6 मिलियन रुपए** और **52.8 मिलियन रुपए** के गैर समायोजन का प्रभाव, जो मूल्यह्रास है, जिसको निर्माण अवधि के दौरान सकल परिसंपत्ति में से वसूल किया जा रहा है तथा टैरिफ के निर्धारण होने पर, परियोजना का संचित मूल्यह्रास जो, बैरा स्यूल, लोकतक तथा सलाल के मामले में 1992 तक, अभी भी अधिसूचित नहीं है और वर्ष 1999-2000 तक कुल बिक्री तथा लाभ पर इसके अनुवर्ती प्रभाव का निर्धारण नहीं किया गया है और इसलिए 31 मार्च, 2000 तक लेखों में कोई समायोजन नहीं किया जा सका।

बताए गए समायोजन बैरा स्यूल, लोकतक तथा सलाल परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिन्हें क्रमश: 1982, 1985 तथा 1987 में चालू किया गया था। प्रबंधवर्ग के विचार से समायोजन करने की आवश्यकता नहीं है।

III. **चमेरा-I** परियोजना के बारे में **0.71 मिलियन रुपए** की नष्ट हुई परिसंपत्तियों के लेखों के विनिमय दर अंतर को स्थिर परिसंपत्तियों की कैरिंग लागत में शामिल किया गया है, जिसे हमारे विचार से लाभ-हानि लेखों से प्राप्त किया जाना चाहिए। इस संबंध में मूल्यह्रास परिवर्तन संबंधी पूरी सूचना के अभाव में निगम की परिसंपत्तियों और लाभ पर इस प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका।

हमारे विचार से किया गया प्रतिपादन सही है।

IV. **लोकतक** परियोजना के मामले में **6.96 मिलियन रुपए** का दावा लम्बे समय से मणिपुर सरकार पर बकाया है और उसकी वसूली का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

धनराशि सरकारी विभागों पर बकाया है और इस अवस्था में कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

V. व्यक्तिगत देनदारों के तौर पर पूरे ब्यौरे उपलब्ध न होने और संदेहास्पद ऋण के प्रावधान के आधार के साथ ही लाभभोक्ताओं के साथ संबंधित लेखों के अंतर का समाधान लंबित होने के कारण निगम द्वारा संदेहास्पद ऋण के तौर पर रखे गए **758 मिलियन रुपए** के प्रावधान की पर्याप्तता पर या अन्यथा भी कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हमारे विचाार से किया गया प्रावधान पर्याप्त है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध के उत्तर

1. निगम ने स्थिर परिसंपत्तियों के बड़े हिस्से का पूरा ब्यौरा दर्शाते हुए मात्रात्मक विवरण सहित रिकॉर्ड रखा है। केवल कुछ मामलों को छोड़कर, जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के रजिस्टर में उनकी स्थिति और पहचान-चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रबंधवर्ग ने कुछ परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन नहीं किया है। कुछ परियोजनाओं में रिपोर्ट समाधानाधीन है, जिसके कारण ऐसे मामलों की कमियों के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वर्ष के दौरान जहां सत्यापन और समाधान पूरे किए गए हैं, कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई।	बकाया वास्तविक सत्यापन और अवस्थिति का कार्य पूरा करने के लिए वर्ष 2000-2001 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
10. हमारी राय में व हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार संयंत्र व मशीनरी उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों व सामान की बिक्री के लिए पर्याप्त रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निगम के आकार और कार्यों के अनुरूप मौजूद है। फिर भी, हमारे विचार से कुछ क्षेत्रों में जैसे सामग्री की खरीद, बैंकों में डेबिट और क्रेडिट के समाधान न किए गए पुराने समायोजन, ठेकेदारों को दी गई सामग्री और उपस्कर, ठेकेदारों और देनदारों को दी गई पेशगियों, पुराने संयंत्र और मशीनरी के निपटान, धीमी गति वाले भंडारों को सुदृढ़ और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।	हमारी राय में इस टिप्पणी में उन क्षेत्रों, जिनके बारे में टिप्पणी की गई है, के लिए कंपनी में पर्याप्त मात्रा में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।
12. जैसा कि हमें बताया गया है, अधिकतर परियोजनाओं में बेकार या क्षतिग्रस्त भंडारों/कच्चे माल को निर्धारित करने के लिए निगम के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। फिर भी, हानि के लिए प्रावधान इन मदों को निर्धारित करते समय किया जाता है।	बेकार अथवा क्षतिग्रस्त सामग्रियों की पहचान समय-समय पर की जाती है। कंपनी के पास कच्चा माल नहीं है।

अनुबंध - II

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., फरीदाबाद के 31 मार्च, 2000 को समाप्त लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां

क. तुलन -पत्र

1. चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

विविध देनदार

घटाएं संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान : 826 मिलियन रुपए

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की वर्ष 1998-99 के लिए कंपनी के लेखों पर टिप्पणी सं. क(2) के संदर्भ में ध्यान दें, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अतिरिक्त बिलिंग के आधार पर भुगतान न करने के कारण संदेहास्पद ऋण के लिए 953.30 मिलियन रुपए का प्रावधान कम था। इस वर्ष भी कंपनी ने उपर्युक्त के अतिरिक्त 529.40 मिलियन रुपए की अतिरिक्त बिलिंग के कारण संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान नहीं किया है।

इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों में अतिविवरण तथा 529.40 मिलियन रुपए का लाभ हुआ है।

प्रबंधवर्ग का उत्तर

लेखा नीति संख्या 9(क) (i) व (ii) के अनुसार बिल एकत्रित कर लिए गये हैं। हमें लगता है कि टैरिफ कटौती, यदि कोई हो, के कारण उत्पन्न आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।

ख. लाभ व हानि लेखा

बिक्री : 10757 मिलियन रुपए

2. इसमें सिक्किम को की गई बिक्री के तौर पर 17.7 मिलियन रुपए की राशि शामिल है। इस राशि की प्राप्ति रंगित जल विद्युत परियोजना को 12% नि:शुल्क बिजली के 14.2 मिलियन रुपए के प्रावधान के बिना हुई है, जिसकी गणना अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और संशोधित लागत अनुमोदन के अनुसार की जानी है।

इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों में 14.2 मिलियन रुपये का अतिविवरण और इतनी ही राशि का लाभ हुआ है।

प्रबंधवर्ग का उत्तर

रंगित जल विद्युत परियोजना को गृह राज्य के तौर पर 12% नि:शुल्क बिजली सहित बिजली के आबंटन के आदेश, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 20 जुलाई, 2000 के पत्र सं.8/2/2000-डीओ (एन.एच.पी.सी.) द्वारा जारी कर दिए गए थे, जो दिनांक 24 जुलाई, 2000 को अर्थात् लेखों का निपटान होने के बाद प्राप्त हुए। पूर्वी क्षेत्र विद्युत बोर्ड 12% नि:शुल्क बिजली शामिल करने के लिए संशोधित विश्वव्यापी लेखे जारी करने की प्रक्रिया में हैं और तद्नुसार वर्ष 2000-2001 के दौरान 12% नि:शुल्क बिजली समायोजित करने के बाद संशोधित बिल जारी किए जाएंगे और लेखा नीति संख्या 9(क)(iii) के अनुसार उनकी गणना की जाएगी।

ह./-
(एच.एस. नारायणन)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितंबर, 2000

अनुबंध - III

31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., फरीदाबाद के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा।

नोट : लेखों की इस समीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई अर्हताओं और कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षों की कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(करोड़ रुपए)

1. देयताएं	1997-98	1998-99	1999-2000
क. प्रदत्त पूंजी			
i) सरकारी (इक्विटी में समंजन योग्य सरकारी निधि सहित)	3393.00	3825.00	4446.20
ii) अन्य	-	-	-
ख. आरक्षित व अधिशेष			
i) फ्री आरक्षित निधियां व अधिशेष	948.50	1272.00	1690.50
ii) शेयर प्रीमियम खाता	-	-	-
iii) आरक्षित पूंजी	0.10	0.10	0.10
ग. उधार			
i) भारत सरकार से	627.40	549.00	484.50
ii) वित्तीय संस्थानों से	709.00	957.90	1885.20
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	1833.10	1837.40	1856.00
iv) नकद उधार	142.10	329.70	365.90
v) अन्य	1983.00	1587.90	991.80
vi) उपचित और देय ब्याज	197.60	45.80	0.30
घ. i) चालू देयताएं और प्रावधान	443.65	562.24	723.73
ii) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	38.35	44.56	52.87
च. अग्रिम रूप में प्राप्त आय			
i) मूल्यह्रास के बदले पेशगी	130.50	245.50	386.10
कुल	**10446.30**	**11257.10**	**12883.20**
परिसंपत्तियां			
छ. सकल ब्लॉक	6903.60	7090.40	7752.70
घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	598.60	811.10	1029.00
ज. शुद्ध ब्लॉक	6305.00	6279.30	6723.70
झ. निर्माण भंडार सहित चालू पूंजीगत कार्य	2405.10	2898.80	3280.10
ट. निवेश	-	-	-
ठ. चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	1734.50	2078.60	2877.50
ड. बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	1.70	0.40	1.90
ढ. संचित हानि	-	-	-
कुल	**10446.30**	**11257.10**	**12883.20**
त. कार्यकारी पूंजी (ठ-घ (i)-ग (vi))	1093.25	1470.56	2153.47
थ. नियोजित पूंजी (ज+त)	7398.25	7749.86	8877.17
द. निवल संपत्ति (क+ख(i)+ ख(ii)-ड-ढ)	4339.80	5096.60	6134.80
ध. प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए निवल मूल्य (रुपए में)	1.28	1.33	1.38

2. निधियों के स्रोत और उपयोग

वर्ष के दौरान 1745.01 करोड़ रुपए की निधियांआंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गईं और उनका नीचे दिए अनुसार उपयोग किया गया :

	(करोड़ रुपए)
निधियों के स्रोत	
संचालन से प्राप्त निधियां	
क. वर्ष के लिए लाभ	401.20
जोड़ें : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	217.90
जोड़ें : बट्टे खाते डाला गया विविध खर्च	(1.50)
जोड़ें : स्व बीमा रिज़र्व में वृद्धि	35.80
	653.40
ख. प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	621.20
ग. उधार ली गई निधि में वृद्धि	321.50
घ. ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान में वृद्धि	8.31
ङ. मूल्यह्रास के बदले पेशगी में वृद्धि	140.60
कुल	**1745.01**
निधियों का उपयोग	
क. स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि	662.30
ख. कार्यकारी पूंजी में वृद्धि	682.91
ग. निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि	381.30
घ. प्रदत्त लाभांश	18.50
कुल	**1745.01**

3. कार्यकारी परिणाम

31 मार्च, 2000 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कंपनी के कार्यकारी परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

	1997-98	1998-99	1999-2000
i) बिक्री	992.97	1194.40	1075.70
ii) घटाएं : उत्पाद शुल्क	-	-	-
iii) शुद्ध बिक्री	992.97	1194.40	1075.70
iv) अन्य विविध आय	4.37	39.10	202.60
v) कर पूर्व लाभ व पूर्व अवधि समायोजन	231.19	260.60	398.00
vi) पूर्व अवधि समायोजन	68.23	44.70	3.20
vii) कर पूर्व लाभ	299.42	305.30	401.20
viii) कर के लिए प्रावधान	-	-	-
ix) कर के बाद लाभ	299.42	305.30	401.20
x) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	16.50	16.50	18.30

4. अनुपात विश्लेषण

31 मार्च, 2000 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए अनुसार हैं :

		1997-98	1998-99	1999-2000
क.	लिक्विडिटी अनुपात			
	चालू अनुपात	2.50	3.42	3.97
	(चालू देयताओं व प्रावधानों के लिए चालू परिसंपत्तियों और उपचित एवं देय ब्याज लेकिन ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान को छोड़कर) {ट/घ(i)+ग(vi)}			
ख.	ऋण इक्विटी अनुपात	1.17	0.97	0.85
	निवल संपत्ति के लिए दीर्घ अवधि डेबिट {ग (i से v तक लेकिन अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर)/द}			
ग.	लाभ अनुपात			(प्रतिशत में)
	निम्न के लिए लाभ (कर पूर्व)			
	(i) नियोजित पूंजी	4.05	3.94	4.52
	(ii) निवल संपत्ति	6.90	5.99	6.54
	(iii) बिक्री	30.15	25.56	37.30
	(iv) इक्विटी	8.82	7.98	9.02
घ.	प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	88.25	79.82	90.23

5. मालसूची स्तर

31 मार्च, 1999 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर मालसूची स्तर नीचे दिए अनुसार है :

(करोड़ रुपए)

	1997-98	1998-99	1999-2000
भंडार, पुर्ज़े एवं लूज़ औज़ार	39.60	42.00	83.00

6. विविध देनदारी

31 मार्च, 2000 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदारी और बिक्री संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

31 मार्च तक	विविध देनदारी			बिक्री (उत्पाद शुल्क सहित)	बिक्री के लिए विविध देनदारी की प्रतिशतता
	कंसीडर्ड गुड	कंसीडर्ड संदेहजनक	कुल		
1998	1298.16	77.34	1375.50	992.97	138.52
1999	1669.40	82.40	1751.80	1194.40	146.67
2000	2280.90	82.60	2363.50	1075.70	219.72

वर्ष 1999-2000 की समाप्ति पर विविध देनदारों का वर्षवार विवरण नीचे दिए अनुसार है :

	राशि (करोड़ रुपए)
एक वर्ष से कम के लिए बकाया देनदारी	820.87
1-2 वर्ष के लिए	303.15
2-3 वर्ष के लिए	704.42
3 वर्ष और इससे अधिक के लिए	524.91
कुल	**2353.35**

ह./-

(एच.एस. नारायणन)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड - III

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 26 सितंबर, 2000

अनुबंध - IV

क) ऊर्जा संरक्षण

क) ऊर्जा की बचत के लिए उपाय किए गए और किए जा रहे हैं।

एन.एच.पी.सी. पावर सिस्टम का डिजाइन इसका अनुकूलतम उपयोग करने के लिए किया गया है ताकि ऊर्जा हानियों (सहायक पुर्जों में खपत) को न्यूनतम किया जा सके।

ख) अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई है, का उपयोग ऊर्जा खपत में कमी करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस समय निगम के पास सीधे निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग) उपरोक्त (क) और (ख) के लिए किए गए उपाय ऊर्जा की खपत और सामान की उत्पादन लागत पर पड़ने वाले आगामी प्रभाव को कम करने के लिए किए गए।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोगिता दर्ज की गई।

घ) प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत और कुल ऊर्जा खपत इस अनुबंध के फार्म 'ए' में संलग्न है।

एन.एच.पी.सी. इस अनुसूची में निर्धारित किए गए उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

ख) अनुसंधान और विकास (आर.एण्ड डी.) समावेशन के संबंध में ब्यौरे देने के लिए फार्म।

1. वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुसंधान और विकास (आर.एण्ड डी.) के जिन विशेष क्षेत्रों में गतिविधियां संचालित की गईं :-

एन.एच.पी.सी. और विद्युत मंत्रालय (एम.ओ.पी.) के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के अनुकूल उच्च स्तर के कार्य-निष्पादन, खासकर संचालित बिजली परियोजनाओं की समस्याओं के लिए उनकी पहचान और परख की जाती है और उनका व्यावहारिक समाधान खोजा जाता है। इस उद्देश्य के लिए सिविल, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल विशेषज्ञों पर आधारित अनुसंधान और विकास (आर.एण्ड डी.) विभाग की स्थापना की गई। संचालित बिजली परियोजनाओं की विभिन्न समस्याओं के दीर्घ अवधि और लघु अवधि, दोनों ही तरह के व्यावहारिक समाधान तलाशने के लिए संबंधित विशेषज्ञ विभागों के सहयोग से आर.एण्ड डी विभाग में जांच पड़ताल की जाती है।

वर्ष 1999-2000 के दौरान आर.एण्ड डी. की मुख्य उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :

क) घिस गए अन्तर्जलीय पुर्जों की क्षमता का मूल्यांकन किया गया।

ख) क्लोज्ड लूप कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हुए शीतलन जल प्रणाली (कूलिंग वाटर सिस्टम) उपस्करों की ट्यूबों के फेल होने में कमी लाई गई।

ग) जलाशय की डिसिल्टिंग के लिए हाइड्रो सक्शन सिल्ट एक्सक्लूज़न सिस्टम का प्रयोग किया गया।

घ) डी.जी.ए., बी.डी.वी. और ऑयल के मौसचर्स कन्टेन्ट के माध्यम से ट्रांसफार्मरों का विश्वसनीय संचालन किया गया।

2. उपरोक्त आर. एण्ड डी. के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए लाभ :

क) सलाल और बैरास्यूल की जनरेटिंग यूनिट्स के घिस गए अन्तर्जलीय पुर्जों की क्षमता का मूल्यांकन किया गया। घिसने के कारणों का अध्ययन किया गया और स्वस्थाने मरम्मत के स्थान पर कार्यशाला मरम्मत प्रारंभ की गई। इससे अन्तर्जलीय पुर्जों का जीवन और लंबा करने के लिए विभिन्न हार्ड फेसिंग/कोटिंग तकनीकों को अपनाया गया। प्रारंभिक परिणाम के अनुसार अभी आंशिक सफलता ही मिली है। अंतिम परिणाम केवल वर्ष 2000 के अंत तक ही प्राप्त होंगे।

ख) मानसून अवधि में पानी में बहुत ज्यादा सिल्ट आ जाने के कारण सलाल, बैरास्यूल और टनकपुर परियोजनाओं में कूलिंग वाटर सिस्टम के अधिकांश उपस्कर, ट्यूबों के फेल हो जाने के कारण काम करना बंद कर देते हैं। टनकपुर परियोजना में क्लोज्ड लूप सिस्टम का प्रयोग करके और कूलिंग वाटर सिस्टम के लिए जमीन के नीचे के पानी का प्रयोग करके इस समस्या पर आंशिक रूप से काबू पाया गया। सलाल और बैरास्यूल परियोजनाओं में क्लोज्ड लूप सिस्टम अपनाना तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। सलाल की एक यूनिट में साइक्लोन सप्रेटर के माध्यम से सिल्ट सप्रेशन के लिए परीक्षण किया गया और इसका उपयोग सफल पाया गया।

ग) देश में पहली बार 400 के.वी., 75 एम.वी.ए. जनरेटर स्टैप ट्रांसफार्मर की पुनः स्थापना परियोजना स्थल पर ही चमेरा के एक अन्य क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की वांइडिंग सहित अन्य आइटमों का इस्तेमाल करके की गई। इस प्रक्रिया के दौरान आंतरिक गैर-पहुँच भाग में जमा हो गए कार्बन पार्टिकल्स को वहां से खिसकाने और हटाने के लिए ड्राई एयर ब्लोईंग के साथ-साथ रिवर्स ऑयल सरकुलेशन जैसे नवीन उपायों को व्यवहार में लाया गया।

घ) जलाशय से गाद हटाना एक बहुत बड़ी और खर्चीली लागत युक्त समस्या है। हाइड्रो सक्शन सिल्ट एक्सक्लूज़न सिस्टम, जिसमें किसी पावर की आवश्यकता नहीं होती, को अपनाकर कुछ सीमा तक इस समस्या पर काबू पाया गया है।

3. भविष्य की कार्रवाई योजना (2000-2001)

क) अन्तर्जलीय पुर्जों पर प्लाज़मा नाइट्रिडिंग के प्रभाव का पुनः परीक्षण किया जाएगा।

ख) अन्तर्जलीय पुर्जों पर विभिन्न प्रकार की कोटिंग/हार्डनिंग के प्रभाव को देखना।

ग) टनकपुर परियोजना में कूलिंग वाटर सिस्टम की ट्यूबों की स्केलिंग में कमी करने के लिए कैमिकल ट्रीटमेंट का प्रभाव परखा जाएगा।

घ) सलाल और बैरास्यूल परियोजनाओं की सभी यूनिटों में साइक्लोन सप्रेटर्स के माध्यम से सिल्ट सप्रेशन को काम में लाया जाएगा।

च) ट्रांसफार्मरों के रख-रखाव कार्यक्रम का मानकीकरण करना।

छ) बैरास्यूल परियोजना की मशीनों के बेयरिंग में वाइब्रेशन का मापन करना।

ज) टनकपुर परियोजना की मशीनों की कार्यकुशलता और यदि तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक हो, तो अपरेटिंग के लिए मानक अध्ययन करना।

झ) भू-तापीय पावर परियोजनाओं के विकास की संभावना तलाशना।

ट) सलाल परियोजना के जलाशय की सिल्ट में कमी लाने के लिए हाइड्रो सक्शन की अत्यधिक प्रभावी नई प्रणाली को अपनाना।

ठ) बैरास्यूल परियोजना के टेलपूल का स्वस्थाने हाइड्रो डाइनामिक अध्ययन और हाइड्रोलिक मॉडल का अध्ययन करना।

4. आर. एण्ड डी. पर खर्च

क) विभिन्न आर. एण्ड डी. अध्ययनों पर हुए खर्च का निर्वहन संबंधित परियोजनाओं के ओ. एण्ड एम. परिव्यय में से किया गया और इसके लिए अलग से कोई लेखा नहीं रखा गया। अत: वर्ष 1999-2000 तक आर. एण्ड डी. खर्च निर्धारित नहीं किया गया है।

ख) वर्ष 2000-2001 के बजट में आर. एण्ड डी. गतिविधियों के लिए 2.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

तकनीकी समावेशन, अंगीकरण और नवीन प्रक्रिया अपनाना

1. ''अनुसंधान और विकास'' के पैरा-2 में वर्णित तकनीकी समावेशन, अंगीकरण और नवीन प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रयास किए गए।

2. उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप हुए फायदे, विशेषतया लागत में हुई बचत का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

क्र.सं.	तकनीकी अंगीकरण/नवीन प्रक्रिया	लागत में बचत
क)	देश में पहली बार चमेरा स्थल पर 400 के.वी., 75 एम.वी.ए. के एक आयातित जी.एस.यू. ट्रांसफार्मर की पुनर्स्थापना, दूसरे क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मर की वांइडिंग का इस्तेमाल करके की गई और वह भी 2 महीने की अल्प अवधि में।	मैसर्स पावेल्स, कनाडा द्वारा नए ट्रांसफार्मर के लिए ऑफर की गई 4.5 करोड़ रु. से अधिक की कीमत के अलावा, डिलीवरी/डाऊन टाइम में 12 महीनों से भी अधिक की बचत की गई।
ख)	सलाल और टनकपुर परियोजनाओं के जलाशय की डिसिल्टिंग के लिए हाइड्रो सक्शन सिल्ट एक्सक्लूज़न सिस्टम।	टनकपुर परियोजना में कैनाल की डिसिल्टिंग पर गत 6 वर्षों में लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हाइड्रो सक्शन व्यवस्था के प्रयोग से इस समस्या पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, जबकि इस पर उपरोक्त लागत का 10% से भी कम खर्च किया गया।

गत पाँच वर्षों के दौरान आयातित तकनालॉजी

एन.एच.पी.सी., हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का एक अग्रणी संगठन होने के नाते राष्ट्र को सस्ती और प्रदूषण-रहित बिजली उपलब्ध करा रही है। एन.एच.पी.सी., अध्ययन करने और आयातित तकनालॉजी को अपनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके परिणामस्वरूप सिल्ट एक्सक्लूज़न सिस्टम, जो चीन के जल विद्युत पावर स्टेशन में व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रही है, का उपयोग सलाल और टनकपुर परियोजनाओं में किया जा रहा है।

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च

	खर्च	**मिलियन रुपए**
1.	आयातित संयंत्र व मशीनरी	50
2.	जानकारी	42
3.	विविध (खर्च)	892
4.	ब्याज	1121
5.	संचालित यूनिटों में खपत हुए कल-पुर्जों और कम्पोनेंट्स की कीमत	
	- आयातित	44
	- स्वदेशी	85
	आय	
6.	ब्याज आय	3
7.	अन्य	10

अनुबंध - V

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत अपेक्षित सूचना

क) उन कर्मचारियों के ब्यौरे, जिनका पारिश्रमिक दिनांक 31.3.2000 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 6,00,000/- रुपए प्रतिवर्ष से कम नहीं था।

क्रम सं.	नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का स्वरूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तारीख	आयु (वर्ष)	पूर्व पद, जिस पर कार्य किया
1.	बी. केसरी मुख्य इंजीनियर (सिविल)	6,03,271	नियमित	एम. (टैक.) (32 वर्ष)	30.6.84	57	डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (बिहार सरकार)
2.	अनिल कुमार वरिष्ठ प्रंबधक (इलै.)	6,20,817	नियमित	बी.ई. (इलै.) (15 वर्ष)	14.2.85	40	सीधी नियुक्ति
3.	ए.आई.बुनेट निदेशक (कार्मिक)	9,78,480	सरकारी नियुक्ति	बी.ए. (ऑनर्स), एल.एल.बी., पी.जी. डिप्लोमा इन आई.आर.एंड वेल्फेयर (32 वर्ष)	31.3.93	58	महाप्रबंधक (का. व प्रशा.) पारादीप फॉस्फेट्स लि.
4.	योगेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	9,45,605	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी. इंजी.(इलै.) (32 वर्ष)	10.5.78	55	सहायक इंजीनियर, बिहार राज्य बिजली बोर्ड
5.	एन. विश्वनाथन निदेशक (तकनीकी)	8,59,792	सरकारी नियुक्ति	एम.ई. (सिविल) (37 वर्ष)	17.9.79	60	सहायक मुख्य इंजीनियर, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
6.	आर.नटराजन निदेशक (वित्त)	8,54,832	सरकारी नियुक्ति	बी.एस.सी., ए.सी.ए. आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इंटर), सीएस (इंटर) (31 वर्ष)	7.7.95	57	निदेशक (वित्त), एन.जे.पी.सी.
7.	आर. के. सक्सेना वरिष्ठ प्रबंधक (विधि)	6,62,196	नियमित	बी.ए., एल.एल.बी. (32 वर्ष)	19.11.79	56	विधि सहायक, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
8.	विनय छोकर वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)	6,38,845	नियमित	बी.ई. (सिविल) (18 वर्ष)	26.2.82	41	सीधी नियुक्ति
9.	प्रशांत कौल वरिष्ठ प्रबंधक (इलै.)	6,04,368	नियमित	बी.ई. (इलै.) एम.आई.ई. (16 वर्ष)	12.11.84	40	यूनाइटेड इलैक्ट्रिक कं. (दिल्ली प्राइवेट लि.)

ख) उन कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्होंने दिनांक 31.3.2000 को समाप्त वित्तीय वर्ष में आंशिक तौर पर कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक 50,000/- रुपए प्रतिमाह से कम नहीं था।

क्रम सं.	नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रुपए)	रोज़गार का स्वरूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तारीख	आयु (वर्ष)	पूर्व पद, जिस कार्य किया
1.	ए.के.जैन कार्यपालक निदेशक (वित्त व लेखा)	9,51,418	नियमित	बी.कॉम., ए.सी.ए (30 वर्ष)	28.11.78	55	उप लेखा प्रबंधक, इफको
2.	एच. एस. ढिल्लों मुख्य इंजीनियर	5,97,726	नियमित	ए.एम.आई.ई. (38 वर्ष)	23.5.81	60	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

टिप्पणियां:

1. उपरोक्त कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थों की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।
2. नौकरी की शर्तें वही हैं, जो समय-समय पर यथास्थिति, निगम पर लागू सरकारी नियमों एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।
3. उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम कर्मचारियों द्वारा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।
4. क. ''पारिश्रमिक'' में ये बाते शामिल हैं-निगम द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान आदि।
   ख. ग्रेच्युटी राशि को लेखे में नहीं लिया गया है क्योंकि यह अनुमानित आधार पर है।

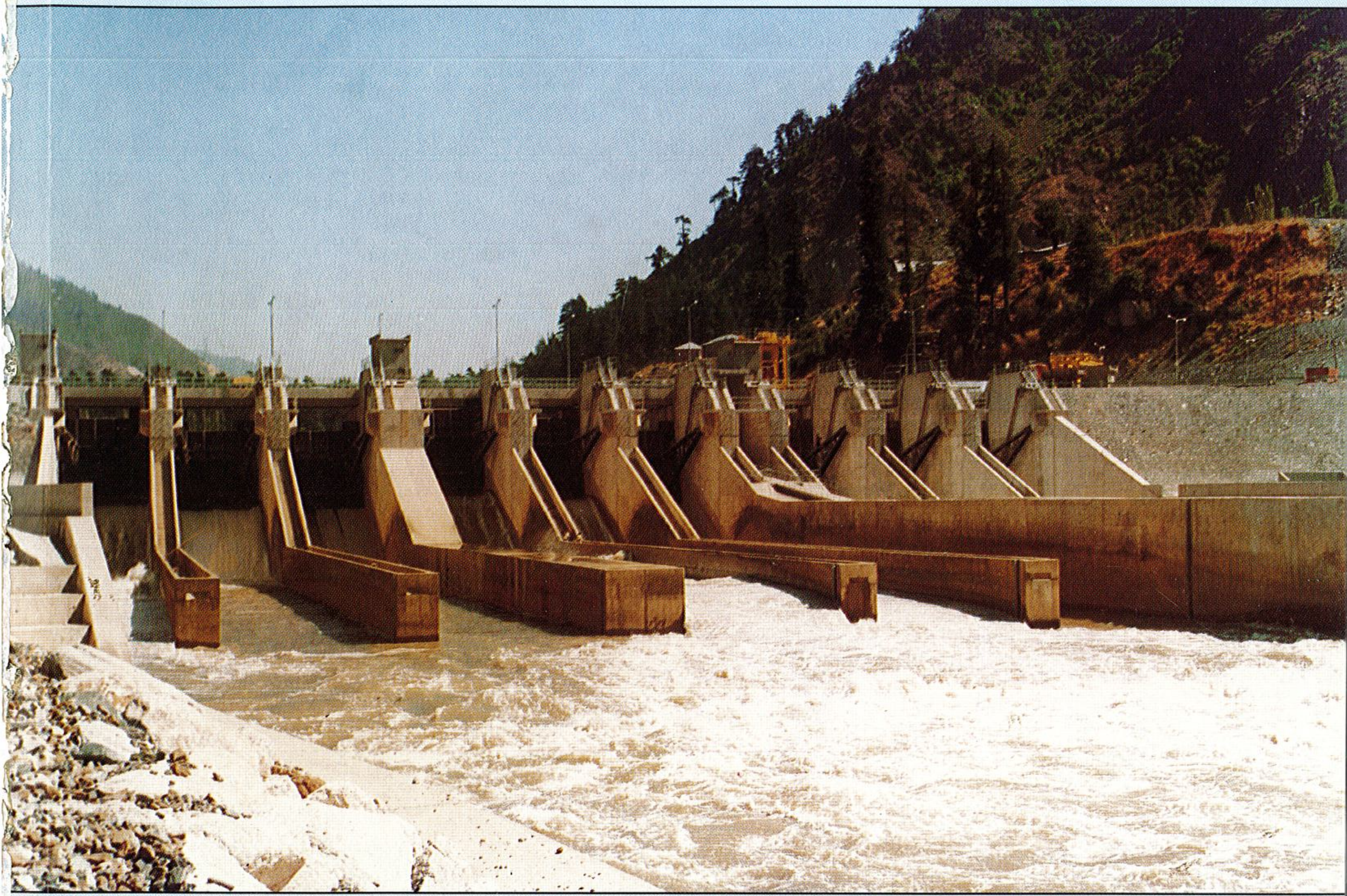

480 मेगावाट उड़ी परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - बैराज

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर-33

फरीदाबाद-121 003, हरियाणा

Website : http://www.nhpcindia.com

Designed by Sobhagya, Printed at IPP Ltd.